



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक संवत्) [संख्या 35

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	469-476	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	711-732	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1717-1756	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स-पर्वेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

उत्तर प्रदेश शासन**श्रम विभाग**

अनुभाग-4

नियुक्ति / विज्ञप्ति

26 दिसम्बर, 2023 ई०

सं० 1460(1)/36-4-2023-31/2012—श्रम आयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत श्री पी० के० सिंह, उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद तथा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, कानपुर को नियमित चयनोपरान्त अपर श्रमायुक्त (वेतनमान रु० 15,600—39,100/- ग्रेड—पे रु० 7,600/-) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

2— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारीगण तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणपत्र श्रमायुक्त, उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारियों की तैनाती के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति

05 अप्रैल, 2024 ई०

सं० 46(1)/36-4-2024-77/1993 टी०सी०—श्रमायुक्त संगठन, उ०प्र० के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों, जिनका सेवा विवरण नीचे अंकित है, स्तम्भ-6 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर लेने अथवा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के उपरान्त सेवानिवृत्त हो चुके हैं/हो जायेंगे—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
1	2	3	4	5	6
(श्री/सर्वश्री)–					
01	जगमोहन	उप निदेशक ब्वायलर	मुख्यालय	21.11.1964	30.11.2024
02	शंकर	सहायक श्रमायुक्त	पिपरी-सोनभद्र	15.04.1964	30.04.2024
03	आनन्द कुमार सिंह	सहायक श्रमायुक्त	अयोध्या	08.04.1964	30.04.2024
04	शिव नारायण	सहायक श्रमायुक्त	लखनऊ	06.06.1964	30.06.2024
05	शिव वचन सरोज	सहायक श्रमायुक्त	गाजियाबाद	01.08.1964	31.07.2024
06	राजीव मिश्रा	सहायक श्रमायुक्त	मुख्यालय	12.12.1964	01.03.2024

उल्लेखनीय है कि श्री राजीव मिश्रा, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुख्यालय, कानपुर के पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के माध्यम से किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन के कार्यालय आदेश संख्या-84/36-4-2024-21(w)/2006 दिनांक 05 फरवरी, 2024 द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2024 से उनकी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है।

29 जून, 2024 ई0

विज्ञप्ति

सं0 898/36-4-24-1792677-शासकीय विज्ञप्ति संख्या-18/2018/800/36-4-2018-02(का0)/1992, दिनांक 06 जून, 2018 को सम्यक् विचारोंपरान्त तात्कालिक प्रभाव से संशोधित करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित उप निदेशक कारखाना एवं सहायक निदेशक कारखाना के संभागीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को सन्दर्भ-4 में अंकित जिलों की परिसीमाओं के साथ स्थापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

क्रम	निदेशक कारखाना, उ0प्र0, मुख्यालय तथा	सहायक निदेशक	परिसीमा में आने वाले जनपदों के
सं0	संभागीय उप निदेशक कारखाना व सहायक	कारखाना के	नाम
	निदेशक कारखाना के कार्यालय के नाम	सृजित पदों की	
		संख्या	
1	2	3	4
1	उप निदेशक कारखाना, कानपुर संभाग, मुख्यालय कानपुर (कानपुर, झाँसी व चित्रकूटधाम मण्डल)	—	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झाँसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा।
	1— सहायक निदेशक कारखाना, कानपुर क्षेत्र (कानपुर मण्डल)	02	कानपुर नगर, कानपुर देहात।
		01	इटावा, औरैया।
		01	फर्रुखाबाद, कन्नौज।
	2— सहायक निदेशक कारखाना, झाँसी क्षेत्र (झाँसी व चित्रकूटधाम मण्डल)	01	झाँसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट हमीरपुर, महोबा।
2	उप निदेशक कारखाना, प्रयागराज संभाग, मुख्यालय प्रयागराज (प्रयागराज मिर्जापुर, वाराणसी व आजमगढ़ मण्डल)	—	प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ।

1	2	3	4
1— सहायक निदेशक कारखाना, प्रयागराज क्षेत्र (प्रयागराज मण्डल)	01	प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी।	
2— सहायक निदेशक कारखाना, वाराणसी क्षेत्र (वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल)	01	वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर।	
	01	मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ।	
3 उप निदेशक कारखाना, लखनऊ संभाग, मुख्यालय लखनऊ (लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर व बस्ती मण्डल)	—	लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर।	
1— सहायक निदेशक कारखाना, लखनऊ क्षेत्र (लखनऊ मण्डल एवं अयोध्या मण्डल आंशिक)	01	लखनऊ, रायबरेली।	
	01	उन्नाव, हरदोई।	
	01	लखनऊ-खीरी, सीतापुर, बाराबंकी।	
2— सहायक निदेशक कारखाना अयोध्या क्षेत्र (अयोध्या मण्डल आंशिक व देवीपाटन मण्डल)	01	अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच।	
3— सहायक निदेशक कारखाना गोरखपुर क्षेत्र (गोरखपुर व बस्ती मण्डल)	01	गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर व बस्ती।	
4 उप निदेशक कारखाना, आगरा संभाग, मुख्यालय आगरा (आगरा, अलीगढ़ व बरेली मण्डल)	—	बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज।	
1— सहायक निदेशक कारखाना, आगरा क्षेत्र (आगरा मण्डल आंशिक)	01	आगरा।	
	01	मथुरा।	

1	2	3	4
	2— सहायक निदेशक कारखाना, फिरोजाबाद क्षेत्र (आगरा मण्डल आंशिक)	02 01	फिरोजाबाद । मैनपुरी ।
	3— सहायक निदेशक कारखाना, अलीगढ़ क्षेत्र (अलीगढ़ मण्डल)	01 01	अलीगढ़, एटा । कासगंज, हाथरस ।
	4— सहायक निदेशक कारखाना, बरेली क्षेत्र (बरेली मण्डल)	01 01 01	बरेली । शाहजहाँपुर । बदायूं, पीलीभीत ।
5	उप निदेशक कारखाना, मेरठ संभाग, मुख्यालय मेरठ (सहारनपुर, मुरादाबाद व मेरठ मण्डल आंशिक)	—	मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, सम्भल, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली ।
	1— सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ क्षेत्र (मेरठ मण्डल आंशिक)	02	मेरठ व बागपत ।
	2— सहायक निदेशक कारखाना, मुजफ्फरनगर क्षेत्र (सहारनपुर मण्डल आंशिक)	01	मुजफ्फरनगर एवं शामली ।
	3— सहायक निदेशक कारखाना, सहारनपुर क्षेत्र (सहारनपुर मण्डल आंशिक)	02	सहारनपुर ।
	4— सहायक निदेशक कारखाना, बिजनौर क्षेत्र (मुरादाबाद मण्डल आंशिक)	01	बिजनौर ।
	5— सहायक निदेशक कारखाना, मुरादाबाद क्षेत्र (मुरादाबाद मण्डल आंशिक)	01 01	मुरादाबाद, रामपुर । अमरोहा, सम्भल ।
6	उप निदेशक कारखाना, गाजियाबाद संभाग, मुख्यालय गाजियाबाद (मेरठ मण्डल आंशिक)	—	गाजियाबाद, हापुड़ व बुलन्दशहर ।
	1— सहायक निदेशक कारखाना, गाजियाबाद क्षेत्र (मेरठ मण्डल आंशिक)	02	गाजियाबाद, हापुड़ ।
	2— सहायक निदेशक कारखाना, बुलन्दशहर क्षेत्र (मेरठ मण्डल आंशिक)	01	बुलन्दशहर ।

1	2	3	4
7	उप निदेशक कारखाना, गौतमबुद्ध नगर संभाग, मुख्यालय गौतमबुद्ध नगर (मेरठ मण्डल आंशिक)	—	गौतमबुद्धनगर (नोएडा)।
	1— सहायक निदेशक कारखाना, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र मुख्यालय गौतमबुद्धनगर (नोएडा) (मेरठ मण्डल आंशिक)	04	गौतमबुद्धनगर (नोएडा)।

नियुक्ति/विज्ञप्ति

30 जून 2024 ई०

सं० 1413/36-4-2024-07/2013 टी०सी०—श्रमायुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत श्री अरुण कुमार सिंह, सहायक श्रमायुक्त, लखीमपुर खीरी को नियमित चयनोपरान्त उप श्रमायुक्त (वेतनमान रु० 15,600—39,100/- ग्रेड-पे रु० 6,600/-) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती हैं।

2— श्री अरुण कुमार सिंह तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक श्रमायुक्त, उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। श्री सिंह की तैनाती के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1414/36-4-2024-07/2013 टी०सी०—श्रमायुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत श्री घनश्याम सिंह, सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी को नियमित चयनोपरान्त उप श्रमायुक्त (वेतनमान रु० 15,600—39,100/- ग्रेड-पे रु० 6,600/-) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती हैं।

2— श्री घनश्याम सिंह तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक श्रमायुक्त, उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। श्री सिंह की तैनाती के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1415/36-4-2024-07/2013 टी०सी०—श्रमायुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत श्री महेश कुमार पाण्डेय, सहायक श्रमायुक्त, मेरठ संबद्ध उ०प्र० असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ को नियमित चयनोपरान्त उप श्रमायुक्त (वेतनमान रु० 15,600—39,100/- ग्रेड-पे रु० 6,600/-) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती हैं।

2— श्री महेश कुमार पाण्डेय तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक श्रमायुक्त, उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। श्री पाण्डेय की तैनाती के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अनुभाग 6

विज्ञप्ति

06 अगस्त, 2024 ई०

सं० 1436/36-6-2024-(1808238)—डा० रामनवल विश्वकर्मा, विशेषज्ञ, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, नैनी, प्रयागराज के प्रार्थना पत्र दिनांक 02 अप्रैल, 2024 द्वारा किये गये अनुरोध तथा निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उ०प्र० सर्वोदयनगर, कानपुर के पत्रांक-पी०एफ०-3887/2024/8386, दिनांक 09 अप्रैल, 2024 एवं पत्रांक पी०एफ०-3887/2024/12498, दिनांक 10 जून, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-862/छत्तीस-6-2017-5(171)/91 टी०सी०, दिनांक 29 जून, 2017 में विहित व्यवस्था के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त डा० रामनवल विश्वकर्मा, विशेषज्ञ को कॉलम-5 में अंकित तिथि को सेवानिवृत्त किये जाने के श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती हैं—

क्र० सं०	नाम व पदनाम	तैनाती स्थल	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	डा० रामनवल विश्वकर्मा, विशेषज्ञ	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, नैनी, प्रयागराज	01.07.1964	30.06.2024 (60 वर्ष की आयु पूर्ण)

आज्ञा से,
कृणाल सिक्का,
विशेष सचिव।

खाद्य एवं रसद विभाग

अनुभाग-1

संशोधन

21 अगस्त, 2025 ई०

सं० रा-473(एक)/29-1-2025—श्री उबैदुर रहमान (ज्येष्ठता क्रमांक-151) जिलापूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, वेतन बैंड-2, रुपये 9,300—34,800 (ग्रेड वेतन रु० 4,800) को नियमित चयनोपरान्त जिलापूर्ति अधिकारी ग्रेड-1 वेतन बैंड-3, रु० 15,600—39,100 (ग्रेड वेतन रु० 5,400) पे-मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश संख्या-रा-473/29-1-2025, दिनांक 14 अगस्त, 2025 द्वारा निर्गत किया गया, जिसमें त्रुटिवश उन्हें कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति अंकित नहीं हो सकी।

2— अतः श्री उबैदुर रहमान, जिलापूर्ति अधिकारी श्रेणी-2 की जिलापूर्ति अधिकारी श्रेणी-1 के पद पर कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3— आदेश संख्या-रा-473/29-1-2025, दिनांक 14 अगस्त, 2025 को इस सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जायेगा।

आज्ञा से,
हरी लाल सिंह,
उप सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, २९ अगस्त, २०२६ ई० (भाद्रपद ०७, १९४८ शक संवत्)

भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ACCOUNTS (C-3) SECTION

NOTIFICATION

August 20, 2025

No. 44—The following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III (Now Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV) is hereby granted the benefits of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Third Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name S./Sri	Date of grant of Third Financial Upgradation under A.C.P Scheme
1	2	3	4
1	1525	Sri Sunil Kumar Singh	05.02.2025

No. 45—The following Senior System Analyst is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name S./Sri	Date of grant of Second Financial Upgradation under A.C.P Scheme
1	2	3	4
1	658	Alok Kumar Mishra	25.01.2025

No. 46—The following System Analyst is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name S./Sri	Date of grant of Second Financial Upgradation under A.C.P Scheme
1	2	3	4
1	2028	Vidhu Shekhar Kumar Prasad	25.01.2025

By order of the Hon'ble Court,

Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

April 09, 2025

No. 1106/Admin. (Services)/2025—In supersessions of Hon'ble Court's Notification No. 1058/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025, Sri Siddharth Shekhar Singh, Civil Judge (Junior Division), Kunda (Pratapgarh) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar *vice* Smt. Isha Agarwal.

No. 1107/Admin. (Services)/2025—Smt. Isha Agarwal, Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

No. 1108/Admin. (Services)/2025—Sri Prafull Upadhyay, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar *vice* Sri Shubham Dwivedi.

No. 1109/Admin. (Services)/2025—Sri Shubham Dwivedi, Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

No. 1110/Admin.(Services)/2025—Sri Chandra Prakash Tiwari-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar *vice* Sushri Manisha Gupta.

No. 1111/Admin. (Services)/2025—Sushri Manisha Gupta, Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

No. 1112/Admin. (Services)/2025—In supersessions of Hon'ble Court's Notification No. 990/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025, Sri Shubham, Civil Judge (Junior Division), Moth-Jhansi is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Bareilly *vice* Smt. Shweta Tiwari.

No. 1113/Admin. (Services)/2025—Smt. Shweta Tiwari, Judicial Magistrate, First Class, Bareilly to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Bareilly *vice* Sri Pratyush Prakash.

No. 1114/Admin. (Services)/2025—The Hon'ble Court's Notifications No. 836, 837, 1048 and 1049/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025 are hereby cancelled.

No. 1115/Admin. (Services)/2025—In supersessions of Hon'ble Court's Notification No. 1047/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025, Sri Siddhant Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddarth Nagar) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Bareilly *vice* Smt. Aroma Raman Picess.

No. 1116/Admin. (Services)/2025—In supersessions of Hon'ble Court's Notification No. 835/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025, Smt. Rakhi Singh, Civil Judge (Junior Division), Atarra (Banda) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court),

Bareilly in the court created under 14th Finance Commission *vice* Smt. Priyanka Anjor.

No. 1117/Admin. (Services)/2025—In partial modification in Hon'ble Court's Notification No. 1023/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025, the word "Niting Singh" be read as "Nitin Singh".

No. 1118/Admin. (Services)/2025—In partial modification in Hon'ble Court's Notification No. 1075/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025, the word "Siddharha Kumar Gautam" be read as "Siddhartha Kumar Gautam".

No. 1119/Admin. (Services)/2025—Sri Hari Ram, Additional District & Sessions Judge, Deoria to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Deoria *vice* Sri Subhash Chandra Maurya.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Deoria against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1120/Admin. (Services)/2025—In supersessions of Hon'ble Court's Notification No. 328/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025, Sri Subhash Chandra Maurya, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Deoria to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Deoria for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Omvir Singh-II.

No. 1121/Admin. (Services)/2025—Sri Omvir Singh-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Deoria to be Additional District & Sessions Judge, Deoria.

No. 1122/Admin. (Services)/2025—In supersessions of Hon'ble Court's Notification No. 327/Admin. (Services)/2025 dated 08.04.2025, Smt. Shikha Rani Jaiswal, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Deoria.

April 11, 2025

No. 1123/Admin. (Services)/2025—In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Vinay Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge, Barabanki, till the new District & Sessions Judge, Barabanki assumes charge of the office.

April 17, 2025

No. 1124/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. 33/Do-4-2025-02-4099/41/ 2023 dated 16.04.2025, Sri Ran Vijay Pratap Singh, Additional District & Sessions Judge, Mathura the then Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gautambuddha Nagar is appointed/ posted as Special Secretary & Additional L.R. (Legal Cell), Supreme Court of India, New Delhi, on deputation basis.

April 28, 2025

No. 1125/Admin. (Services)/2025—Sri Mohit Kumar Prasad, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Agra to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Agra *vice* Sri Aman Kumar.

No. 1126/Admin. (Services)/2025—Sri Aman Kumar, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Agra to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Agra in the vacant court.

No. 1127/Admin.(Services)/2025—Sushri Varuna Basist, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Banda to be Additional Chief Judicial Magistrate, Banda *vice* Sri Divyakant Singh Rathore.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Banda.

No. 1128/Admin.(Services)/2025—Sri Divyakant Singh Rathore, Additional Chief Judicial Magistrate, Banda to be Additional Chief Judicial Magistrate (Central Railway), Banda in the vacant court.

No. 1129/Admin.(Services)/2025—Sri Narendra Kumar-VI, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Bareilly in the vacant court.

No. 1130/Admin. (Services)/2025—Smt. Nikita Gour, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Chandauli to be Civil Judge (Senior Division), Chandauli *vice* Sri Arun Kumar Gupta.

No. 1131/Admin. (Services)/2025—Sri Arun Kumar Gupta, Civil Judge (Senior Division), Chandauli to be Additional Chief Judicial Magistrate (Eastern Railway), Chandauli in the vacant court.

No. 1132/Admin. (Services)/2025—Sri Prag Dutt Shukla, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Gorakhpur in the vacant court.

No. 1133/Admin. (Services)/2025—Sri Dhruvesh Singh Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Lucknow in the vacant court.

No. 1134/Admin. (Services)/2025—Sri Sarvesh Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Moradabad in the vacant court.

No. 1135/Admin. (Services)/2025—Sri Arun Kumar Yadava, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj *vice* Sri Prem Bahadur Singh.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Prayagraj.

No. 1136/Admin. (Services)/2025—Sri Prem Bahadur Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Special Chief Judicial Magistrate, Prayagraj *vice* Sri Vinay Kumar Jaiswal.

No. 1137/Admin. (Services)/2025—Sri Vinay Kumar Jaiswal, Special Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Prayagraj in the vacant court.

No.1138/Admin.(Services)/2025—Sri Prashant Mishra-II, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Varanasi in the vacant court.

No. 1139/Admin. (Services)/2025—Sri Ishwar Singh, Additional District & Sessions Judge, Amroha to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Amroha for trying cases of crime against women *vice* Smt. Nazneen Bano.

No. 1140/Admin.(Services)/2025—Smt. Nazneen Bano, Additional District Judge (Fast Track Court), Amroha to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Amroha in the court created under 14th Finance Commission *vice* Smt. Jyoti.

No. 1141/Admin. (Services)/2025—Smt. Jyoti, Additional District & Sessions Judge (Fast Track

Court), Amroha to be Additional District & Sessions Judge, Amroha.

No. 1142/Admin. (Services)/2025—Smt. Suneeta Sharma, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Etawah for trying cases of crime against women *vice* Sri Rupendra Singh Tongar.

No. 1143/Admin. (Services)/2025—Sri Rupendra Singh Tongar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Etawah.

No. 1144/Admin. (Services)/2025—Smt. Priti Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad for trying cases of crime against women *vice* Sri Dharendra Singh.

No. 1145/Admin. (Services)/2025—Sri Dharendra Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad for trying cases of crime against women *vice* Sri Mohammad Firoz.

No.1146/Admin.(Services)/2025—Sri Mohammad Firoz, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 1147/Admin. (Services)/2025—Smt. Neelu Mainwal, Additional District & Sessions Judge, Chitrakoot to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Chitrakoot for trying cases of crime against women *vice* Sri Neeraj Shrivastav.

No. 1148/Admin. (Services)/2025—Sri Neeraj Shrivastav, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Chitrakoot to be Additional District & Sessions Judge, Chitrakoot.

No. 1149/Admin. (Services)/2025—Sri Yashwant Kumar Saroj, Additional District & Sessions Judge, Lalitpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lalitpur.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Lalitpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1150/Admin. (Services)/2025—Sri Manoj Kumar Jatav, Additional District & Sessions Judge, Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj for trying cases of crime against women.

No. 1151/Admin. (Services)/2025—Sri Manoj Kumar Tiwari-I, Additional District & Sessions Judge, Siddhartha Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Siddhartha Nagar for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989).

No. 1152/Admin. (Services)/2025—Sri Ankit Verma, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Azamgarh to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Azamgarh.

No. 1153/Admin. (Services)/2025—Sri Atul Kumar Nayak, Additional Civil Judge (Senior Division), Balrampur to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Balrampur.

No. 1154/Admin.(Services)/2025—Smt. Tarunima Pandey, Additional Civil Judge (Senior Division), Bhadohi at Gyanpur to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Bhadohi at Gyanpur.

No. 1155/Admin. (Services)/2025—Smt. Ila Chaudhary, Additional Civil Judge (Senior Division), Chitrakoot to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Chitrakoot *vice* Sushri Varnika Shukla.

No. 1156/Admin. (Services)/2025—Sushri Varnika Shukla, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Chitrakoot to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Chitrakoot.

No. 1157/Admin. (Services)/2025—Sri Mohd. Sajid-II, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur *vice* Sri Sandeep Kumar.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Fatehpur.

No. 1158/Admin.(Services)/2025—Sri Sandeep Kumar, Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur to be Civil Judge (Senior Division), Fatehpur *vice* Sushri Akanksha Mishra.

No. 1159/Admin.(Services)/2025—Sushri Akanksha Mishra, Civil Judge (Senior Division), Fatehpur to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Fatehpur.

No. 1160/Admin.(Services)/2025—Sri Mahendra Kumar Pandey, Additional Civil Judge (Senior Division), Hamirpur to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Hamirpur.

No. 1161/Admin. (Services)/2025—Sri Ravi Shankar Gupta, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Lalitpur to be Civil Judge (Senior Division), Lalitpur *vice* Sri Mayank Jaiswal.

No. 1162/Admin.(Services)/2025—Sri Mayank Jaiswal, Civil Judge (Senior Division), Lalitpur to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Lalitpur.

No. 1163/Admin. (Services)/2025—Sri Sunil Kumar Nagar, Additional Civil Judge (Senior Division), Maharajganj to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Maharajganj.

No. 1164/Admin.(Services)/2025—Sri Shailendra Nath, Additional Civil Judge (Senior Division), Siddharth Nagar to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Siddharth Nagar.

No. 1165/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. 481/4-2025 dated 28.04.2025, Sri Mohd. Asharaf Ansari, Principal Judge, Family Court, Sultanpur to be Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Kanpur Nagar.

No. 1166/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. /2025/312/VII-Nyay-2-2025-58G/2001 dated 09.04.2025, Sri Hira Lal-III, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Principal Judge, Family Court, Sultanpur.

No. 1167/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. /2025/312/VII-Nyay-2-2025-58G/2001 dated 09.04.2025, Rohit Sinha, Principal Judge, Family Court, Banda to be Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.

No. 1168/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. 481/4-2025 dated 28.04.2025, Smt. Rajani Singh, Principal Judge, Family Court, Auraiya to be Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Bareilly.

No. 1169/Admin. (Services)/2025—Sri Suresh Chand-II, Principal Judge, Family Court, Shamli at Kairana to be Presiding Officer, Commercial Court, Kanpur Nagar.

No. 1170/Admin. (Services)/2025—Sri Prakash Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Saharanpur *vice* Sri Vikas Gupta.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Saharanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1171/Admin. (Services)/2025—Sri Vikas Gupta, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 1172/Admin. (Services)/2025—Sri Mohd. Ahmad Khan, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Special Judge, Saharanpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Abhay Krishna Tiwari.

No. 1173/Admin. (Services)/2025—Sri Abhay Krishna Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 1174/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. /2025/312/VII-Nyay-2-2025-58G/2001 dated 09.04.2025, Sri Brijesh Kumar Sharma, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Principal Judge, Family Court, Shamli at Kairana.

No. 1175/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. 481/4-2025 dated 28.04.2025, Sri Bans Bahadur Yadav, Presiding Officer, Commercial Court, Kanpur Nagar to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bhadohi at Gyanpur.

No. 1176/Admin. (Services)/2025—Sri Kanishk Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Muzaffarnagar *vice* Smt. Asha Rani Singh.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Muzaffarnagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1177/Admin. (Services)/2025—Smt. Asha Rani Singh, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Special Judge, Muzaffarnagar for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ravi Kant-III.

No. 1178/Admin. (Services)/2025—Sri Ravi Kant-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 1179/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. /2025/312/VII-Nyay-2-2025-58G/2001 dated 09.04.2025, Sri Gopal Upadhyaya, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Principal Judge, Family Court, Etah.

No. 1180/Admin. (Services)/2025—Sri Ved Prakash Verma, Presiding Officer, Commercial Court, Meerut to be Presiding Officer, Commercial Court, Ayodhya.

No. 1181/Admin. (Services)/2025—Sri Harendra Prasad, Additional District & Sessions Judge, Mau to be Special Judge, Mau for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Priti Singh-I.

No. 1182/Admin. (Services)/2025—Smt. Priti Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge, Mau.

No. 1183/Admin. (Services)/2025—Sri Ashok Kumar-X, Additional District & Sessions Judge, Mau to be Presiding Officer, Commercial Court, Meerut.

No. 1184/Admin. (Services)/2025—Sri Bharat Singh Yadav, Additional District & Sessions Judge,

Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghaziabad *vice* Sri Gaurav Sharma.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghaziabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1185/Admin. (Services)/2025—Sri Gaurav Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Special Judge, Ghaziabad for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Mukesh Kumar Singh-I.

No. 1186/Admin. (Services)/2025—Pursuant to Government O.M. No. /2025/312/VII-Nyay-2-2025-58G/2001 dated 09.04.2025, Sri Mukesh Kumar Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Principal Judge, Family Court, Banda.

April 30, 2025

No. 1187/Admin. (Services)/2025—Sri Mayank Chauhan, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Gautam Buddha Nagar to be District & Sessions Judge, Auraiya.

No. 1188/Admin. (Services)/2025—Sri Durg Narain Singh, District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur to be District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi.

No. 1189/Admin. (Services)/2025—Dr. Vidushi Singh, Principal Judge, Family Court, Hapur to be District & Sessions Judge, Mahoba.

No. 1190/Admin. (Services)/2025—Sri Sanjay Kumar-VII, District & Sessions Judge, Auraiya to be District & Sessions Judge, Bijnor.

No.1191/Admin.(Services)/2025—Smt. Kamlesh Kuchhal, District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi to be District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 1192/Admin. (Services)/2025—Sri Padam Narain Mishra, District & Sessions Judge, Jhansi to be District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 1193/Admin. (Services)/2025—Sri Bhanu Deo Sharma, District & Sessions Judge, Moradabad to be District & Sessions Judge, Rampur.

No. 1194/Admin. (Services)/2025—Sri Satya Prakash Tripathi, District & Sessions Judge, Rampur to be District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 1195/Admin. (Services)/2025—Sri Utkarsh Chaturvedi, District & Sessions Judge, Bahraich to be District & Sessions Judge, Balrampur.

No. 1196/Admin. (Services)/2025—Smt. Pratima Srivastava, Chairperson, Commercial Tax Tribunal, Lucknow to be District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 1197/Admin. (Services)/2025—Sri Rajat Singh Jain, District & Sessions Judge, Meerut to be District & Sessions Judge, Etawah.

No. 1198/Admin. (Services)/2025—Sri Satendra Kumar, District & Sessions Judge, Hathras to be District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 1199/Admin.(Services)/2025—Sri Jai Prakash Tiwari, District & Sessions Judge, Ramabai Nagar to be District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 1200/Admin. (Services)/2025—Sri Sanjiv Pandey, District & Sessions Judge, Varanasi to be District & Sessions Judge, Meerut.

No. 1201/Admin. (Services)/2025—Sri Ajay Kumar Singh-I, District & Sessions Judge, Presiding

Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Azamgarh to be District & Sessions Judge, Maharajganj.

No. 1202/Admin.(Services)/2025—Sri Devendra Singh-I, District & Sessions Judge, Deoria to be District & Sessions Judge, Banda.

No. 1203/Admin. (Services)/2025—Sri Abdul Shahid, District & Sessions Judge, Pratapgarh to be District & Sessions Judge, Pilibhit.

No. 1204/Admin. (Services)/2025—Sri Sanjay Kumar Malik, District & Sessions Judge, Baghpat to be District & Sessions Judge, Agra.

No. 1205/Admin. (Services)/2025—Sri Manoj Kumar-III, District & Sessions Judge, Budaun to be District & Sessions Judge, Baghpat.

No. 1206/Admin. (Services)/2025—Dr. Ajay Kumar-II, District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be District & Sessions Judge, Hapur.

No. 1207/Admin. (Services)/2025—Sri Malkhan Singh, District & Sessions Judge, Hapur to be District & Sessions Judge, Gautambuddha Nagar.

No. 1208/Admin. (Services)/2025—Sri Vivek, Senior Registrar, High Court Lucknow Bench, Lucknow to be District & Sessions Judge, Amroha.

No. 1209/Admin. (Services)/2025—Sri Zafeer Ahmad, District & Sessions Judge, Amroha to be District & Sessions Judge, Gonda.

No. 1210/Admin. (Services)/2025—Dr. Babbu Sarang, District & Sessions Judge, Banda to be District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 1211/Admin. (Services)/2025—Sri Ramesh Chand-I, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Barabanki to be Chairman, Commercial Tax Tribunal, Lucknow.

No. 1212/Admin. (Services)/2025—Sri Anil Kumar Jha, District & Sessions Judge, Balrampur to be District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 1213/Admin. (Services)/2025—Sri Tej Pratap Tiwari, District & Sessions Judge, Gorakhpur to be District & Sessions Judge, Ramabai Nagar.

No. 1214/Admin. (Services)/2025—Sri Pradeep Kumar Singh-II, District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Senior Registrar, High Court Lucknow Bench, Lucknow.

No. 1215/Admin. (Services)/2025—Sri Vivek Sangal, District & Sessions Judge, Agra to be District & Sessions Judge, Budaun.

No. 1216/Admin. (Services)/2025—Sri Chawan Prakash, District & Sessions Judge, Etawah to be District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1217/Admin. (Services)/2025—Sri Sanjiv Kumar, District & Sessions Judge, Aligarh to be District & Sessions Judge, Prayagraj.

No. 1218/Admin. (Services)/2025—Sri Santosh Rai, District & Sessions Judge, Prayagraj to be District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 1219/Admin. (Services)/2025—Sri Ashish Garg, District & Sessions Judge, Mathura to be District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1220/Admin. (Services)/2025—Sri Akhilesh Dubey, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Basti to be District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur.

No. 1221/Admin. (Services)/2025—Sri Neeraj Kumar, District & Sessions Judge, Maharajganj to be District & Sessions Judge, Farrukhabad.

No. 1222/Admin. (Services)/2025—Sri Anupam Kumar, District & Sessions Judge, Kaushambi to be District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 1223/Admin. (Services)/2025—Sri Jai Prakash Yadav, District & Sessions Judge, Mahoba to be District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 1224/Admin. (Services)/2025—Sri Vikas Kumar-I, District & Sessions Judge, Shamli at Kairana to be District & Sessions Judge, Mathura.

No. 1225/Admin. (Services)/2025—Sri Ram Milan Singh, District & Sessions Judge, Shravasti at Bhinga to be District & Sessions Judge, Deoria.

No. 1226/Admin. (Services)/2025—Sri Vinay Kumar-III, District & Sessions Judge, Farrukhabad to be District & Sessions Judge, Hathras.

No. 1227/Admin. (Services)/2025—Sri Rakesh Dhar Dubey, Principal Judge, Family Court, Chandauli to be District & Sessions Judge, Shravasti at Bhinga.

No. 1228/Admin. (Services)/2025—Sri Inder Preet Singh Josh, Presiding Officer, Commercial Court, Moradabad to be District & Sessions Judge, Shamli at Kairana.

May 07, 2025

No. 1229/Admin. (Services)/2025—Sri Yogesh Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Prayagraj to be Presiding Officer, Special Court (MPs/MLAs), Prayagraj.

By Order of the Hon'ble Court,

RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

बहराइच के जिलाधिकारी की आज्ञायें

13 जनवरी, 2025 ई0

सं0 755/बारह-ए/भू0व्य0(पुर्नग्रहण)/2025-अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच, निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी पयागपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तथा मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये परीक्षण व संस्तुति के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग उ0प्र0, शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
हेक्टेयर							
बहराइच	पयागपुर	इकौना	गुलरिहा	1823	1.3840	बंजर	वृहद गौ संरक्षण केन्द्र, पशुपालन विभाग।

सं0 756/बारह-ए/भू0व्य0(पुर्नग्रहण)/2025-अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी कैसरगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 तथा मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये परीक्षण व संस्तुति के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र देवीदासपुर के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निर्वतन पर रखती हूँ। चूंकि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन (ऊर्जा विभाग) वाणिज्यिक विभाग की श्रेणी में आता है जिसे निर्दिष्ट भूमि को शासनादेश संख्या 1513/एक-1-2020-रा0-1 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 01 रु0 प्रति एकड़

सांकेतिक मूल्य दर पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)	पूंजीकृत वार्षिक मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					हेक्टेयर			रु०
बहराइच	कैसरगंज	हिसमापुर	देवीदासपुर	791ग मि०	0.1210	बंजर	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र देवीदासपुर बहराइच उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	510.00

आज्ञा से,
मोनिका रानी,
जिलाधिकारी, बहराइच।

जनता के प्रयोगार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां कार्यालय, जिलाधिकारी, चित्रकूट

प्रारूप-18

[नियम-20 का उपनियम (2)]

[अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की अधिसूचना

04 मई, 2026 ई०

सं० 70/आठ-वि०भू०अ०अ०/बाँदा-भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) अन्तर्गत कलेक्टर चित्रकूट, की राय है कि जनपद चित्रकूट, में इन्टीग्रेटेड कोर्ट कम्प्लेक्स के निर्माण हेतु तहसील कर्वी के ग्राम-बनाड़ी व गढ़ीवा की कुल रकबा-1.6510 हे० कृषक भूमि की आवश्यकता है।

2- राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी एथिक्युरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को अनुमोदित किया गया है।

3— सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है—

- परियोजना पूर्णरूप से सार्वजनिक जनहित में एवं आम जनमानस के लिये उपयोगी है।
- प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित परिवारों की आजीविका और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- उक्त परियोजना से भौतिक अवसंरचना का विकास होगा और जनपद/क्षेत्रवासियों द्वारा अदालत तक पहुंचने में आसानी होगी।
- परियोजना में भू-अर्जन से प्राप्त होने वाले प्रतिकर की राशि से वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास का निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास तथा कृषिगत तकनीकी का विकास होना अवश्य भावी है।
- उक्त परियोजना से लाभान्वित होने की सम्भावना लागत मूल्य से बहुत अधिक होने की है। इस प्रकार भूमि का अर्जन जनमानस के हित में है।
- उक्त परियोजना से संभावित लाभ के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

4— भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5— अतः राज्यपाल जनपद चित्रकूट में इन्टीग्रेटेड कोर्ट कम्प्लेक्स के निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	बनाड़ी	632 मि	0.4050
				639 मि	0.0400
				635 मि	0.0241
				636 मि	0.0090
				645/2 मि	0.0051
				647/1 मि	0.0234
				646 मि	0.0084
				645 मि	0.1750
				635 मि	0.2890
				637 मि	0.0180
				645 मि	0.0610

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	बनाड़ी	646 मि	0.0960
			गढ़ीवा	255 मि	0.4970
				योग...	1.6510

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदायी करने तथा कार्य के समुचित कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा आदि कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट तथा कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बाँदा में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, CHITRAKOOT

Form-18

[Sub-rule (2) of Rule-20]

(Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act-2013)

May 04, 2026

No. 70/VIII-S.L.A.O./Banda—Notification under Section 11 of the "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

1- Under Section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, it is the opinion of the Collector, Chitrakoot (on behalf of the Uttar Pradesh Government/Appropriate Government) that for the construction of an Integrated Court Complex in District Chitrakoot, a total area of 1.6510 Hectares of agricultural land is required in Village Banadi and Garhiwa, Tehsil Karwi.

2- A Social Impact Assessment (SIA) study was conducted by the State Social Impact Assessment Agency, Ethicurate Services Private Limited, Janakipuram, Lucknow. Their recommendations were submitted to the Appropriate Government and were approved on April 10, 2026.

3- Summary of the Social Impact Assessment (SIA)—

- The project is entirely for public interest and will benefit the general public.
- There will be no significant adverse impact on the livelihood or socio-economic status of the affected families.
- The project will develop physical infrastructure and provide easier access to the courts for residents of the district/region.
- The compensation received from land acquisition will lead to the development of alternative employment, better housing, improved transport, and agricultural technology.
- The potential benefits of the project far outweigh the estimated costs. Thus, the acquisition is in the public interest.
- The social benefits significantly outweigh the potential social costs or adverse impacts. The land proposed for acquisition is minimal relative to the project requirements.

4- No families are being displaced due to this land acquisition.

5- Therefore, the Governor hereby grants consent to notify the land mentioned in the following schedule for the construction of the Integrated Court Complex in District Chitrakoot-

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Gata (Plot) No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					(Hectares)
Chitrakoot	Karwi	Karwi	Banadi	632 Mi	0.4050
				639 Mi	0.0400
				635 Mi	0.0241
				636 Mi	0.0090
				645/2 Mi	0.0051
				647/1 Mi	0.0234
				646 Mi	0.0084
				645 Mi	0.1750
				635 Mi	0.2890
				637 Mi	0.0180
				645 Mi	0.0610
				646 Mi	0.0960
Chitrakoot	Karwi	Karwi	Garhiwa	255 Mi	0.4970
Total...					1.6510

6- Under Section 12 of the Act, the Governor directs the Collector to take all necessary steps for land acquisition, including land surveys, leveling, digging, and other required actions for proper execution.

7- Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may submit an objection in writing to the Collector within 60 days from the publication of this notification.

8- Under Section 11(4) of the Act, from the date of publication of this notification until the acquisition process is complete, no person shall perform any transaction (sale/purchase) or create any encumbrance on the specified land without the prior approval of the Collector.

Note:- The site map and related documents of the said land can be inspected at the Office of the District Magistrate, Chitrakoot, or the Office of the Special Land Acquisition Officer (SLAO), Banda.

(Sd.) Illegible,
Collector,
Chitrakoot.

कार्यालय, जिलाधिकारी बिजनौर

प्रारूप-18

नियम-20 का उप नियम (2)

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

11 मार्च, 2026 ई०

सं० 4773/आठ-वि०भू०अ०अ०/बिजनौर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा प्रणाली हेतु जनपद बिजनौर परगना व तहसील धामपुर के ग्राम चकराजमल में कुल 0.8310 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1-उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्रविधान लागू नहीं होंगे।

2-भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3-अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	धामपुर	धामपुर	चकराजमल	779अ, 779ब	0-2100
				816	0-2220
				860अ, 860ब	0-1100
				868 मि०	0-2890
				योग...	0-8310

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी: उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कार्यालय, जिलाधिकारी बिजनौर

प्रारूप-18

नियम-20 का उप नियम (2)

अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना

11 मार्च, 2026 ई0

सं0 4774/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा प्रणाली हेतु जनपद बिजनौर परगना व तहसील धामपुर के ग्राम मिलक मुकीमपुर में कुल **0.3793** हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1-उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्रविधान लागू नहीं होंगे।

2-भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3-अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बिजनौर	धामपुर	धामपुर	मिलक मुकीमपुर	243 मि0	हेक्टेयर 0.0178
				244 मि0	0.0948
				246	0.1290
				247 मि0	0.0842
				248 मि0	0.0535
				योग...	0.3793

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी: उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

कार्यालय, जिलाधिकारी सोनभद्र

(प्रारूप-19)

[नियम-27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत,

अधिषासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड प्रथम, पिपरी-सोनभद्र

अधिसूचना

18 अगस्त, 2026 ई0

सं0 10127/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सिं0) मीरजापुर/कार्यालय अधिषासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड प्रथम, पिपरी-सोनभद्र द्वारा जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दाहिनी कनहर नहर के निर्माण कार्य हेतु ग्राम-हरना कछार, तहसील-दुद्धी में रकबा-0.2526हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0-9384/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सिं0)मीरजापुर/दिनांक-15.04.2026 को निर्गत की गयी जिसके गजट का प्रकाशन दिनांक-24.05.2026 को दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था। डिप्टी कलेक्टर दुद्धी, सोनभद्र को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रषासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल रकबा-0.2526हे0 सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देती है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर सोनभद्र को निर्दिष्ट करते हैं। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है:-

अनुसूची-“क”

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
सोनभद्र	दुद्धी	दुद्धी	हरना कछार	1905	0.0263
				1947	0.1027
				1949	0.0627
				2177	0.0257
				2179	0.0352
				योग—	0.2526

अनुसूची-“ख”

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

अनुसूची “क” में उल्लिखित भूमि के अर्जन से कोई भी कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा विषे भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर/कलेक्टर सोनभद्र के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड प्रथम, पिपरी-सोनभद्र के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की कनहर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दाहिनी कनहर नहर के निर्माण कार्य हेतु ग्राम-हरना कछार, परगना व तहसील-दुद्धी, जनपद-सोनभद्र में स्थित रकबा-0.2526हे० भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना सं०-9384/आठ-वि०भू० अ०अ० (सि०) मीरजापुर/दिनांक-15 अप्रैल, 2026के क्रम मे मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा

सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है:—

अधिसूचित गाटा संख्याओं में प्रभावित भू-स्वामी विस्थापित नहीं हो रहे हैं।

नोट:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट
समुचित सरकार/
कलेक्टर, सोनभद्र।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SONBHADRA

(Form-19)

[Rule-27, Sub-rule (1)]

Declaration by the Appropriate Government / Collector

[Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act]

Government of Uttar Pradesh

Executive Engineer, Kanhar Construction Division-I Pipri, Sonbhadra

Notification

August 18, 2026

No. 10127/VIII-S.L.A.O. (IRR.) Mirzapur—The Office of the Executive Engineer, Kanhar Construction Division-I, Pipri, Sonbhadra, in connection with the acquisition of 0.2526 hectares of land situated in Village-Harnakchhar, Tehsil-Duddhi, for the construction of the Right Kanhar Canal under the Kanhar Irrigation Project in District- Sonbhadra, had issued the Preliminary Notification No. 9384/VIII-S.L.A.O. (IRR.) Mirzapur, dated-15.04.2026 under Section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. The said notification was published in the Official Gazette on 24.05.2026 and was also published in two daily newspapers. For the purpose of Rehabilitation and Resettlement (R&R) of the Project Affected Families, the Deputy Collector Duddhi, District-Sonbhadra, was appointed as the Administrator.

In compliance with the provisions of Section 15(2) of the Act, and upon consideration of the report submitted by the Collector, the Governor, in exercise of the powers conferred under Section 19(1) of the Act, hereby directs that a declaration be made, being satisfied that the land measuring 0.2526 hectares, as described in Schedule "A", is required for a public purpose.

The Governor further directs that, in accordance with the provisions of Section 19(2) of the Act, simultaneously with the publication of this declaration, the Sonbhadra Collector, shall publish the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is annexed herewith—

Schedule – “A”

(Land proposed for acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Sonbhadra	Duddhi,	Duddhi,	Harnakchhar	1905	0.0263
				1947	0.1027
				1949	0.0627
				2177	0.0257
				2179	0.0352
				TOTAL	0.2526

Schedule – “B”

(Land identified as resettlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
					<i>Hectare</i>
1	2	3	4	5	6

No family is being displaced due to acquisition of the land mentioned in Schedule “A”.

Note: The site map of the said land may be inspected in the Office of the Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur / Collector, Sonbhadra.

Notification of Declaration by the Collector

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

Through the Office of the Executive Engineer, Kanhar Construction Division-I, Pipri, Sonbhadra, in connection with Notification No- 9384/VIII-S.L.A.O (IRR.) Mirzapur, dated 15.04.2026 published for the acquisition of 0.2526 hectares of land situated in Village-Harnakchhar, Pargana and Tehsil- Duddhi,

District-Sonbhadra, for the construction of the Right Kanhar Canal under the Kanhar Irrigation Project, a public purpose project, the declaration has been published by me, and the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme has been enclosed alongwith the Government Notification. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is as follows:

The affected land owners in the notified plot numbers are not being displaced.

Note: The site map of the said land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) illegible,

Appropriate Government/
Collector Sonbhadra.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पंचायत गौरीबाजार, देवरिया

19 नवम्बर, 2025 ई०

पत्रांक सं० 1049/न०पं० गौरीबाजार/2025-26 उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत गौरीबाजार द्वारा भवन निर्माण नियमावली, 2025 विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह का आपत्ति हो या सुझाव होते, अपने लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत गौरीबाजार में प्रकाशन 15 दिन में करा सकता है तत्क्रम में समाचार-पत्र स्वतंत्र जनमित्र एवं स्वतंत्र जनभारती में दिनांक 20 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। जिसको मा० बोर्ड बैठक 28 दिसम्बर, 2025 के प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्व सम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विविधकर (शुल्क) उपविधि 2025

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पंचायत गौरीबाजार जनपद देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत गौरीबाजार जनपद देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ—

- (1) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत गौरीबाजार, जनपद-देवरिया के अध्यक्ष से है।
- (2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत गौरीबाजार, जनपद-देवरिया के अधिशासी अधिकारी से है।
- (3) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत गौरीबाजार, जनपद-देवरिया से है।

1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु० 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु० 1,000.00 प्रति प्रकरण।
- (2) किसी स्वामी के मरे हुये छोटे जानवर उठाने पर रु० 500 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु० 1,000.00 प्रति पशु।
- (3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु० 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।
- (4) नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 तथा वाटर प्लूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुये रु० 2,000 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।
- (5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु० 2,000 प्रति प्रकरण।
- (6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग बाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के मरे हुये अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु० 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन०जी०टी० ऐक्ट 2010 की धारा-15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु० 50,000.00 (पच्चास हजार रूपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु० 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- (7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होन व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से समान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु० 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर

पंचायती के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु० 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

- (8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु० 5,000.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु० 5,000.00 प्रति अद्व प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
- (9) गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु० 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग रु० 1,000/- प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।
- (10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु० 3,000.00 देय होगा।
- (11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुये डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़े कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुये मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुये पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 1,000 रु० की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
- (12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में सूखे कूड़े, गीले कूड़े हार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुये निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में बसूल किया जायेगा।
- (13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु० 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु० 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान/दुकान की दर से लिया जायेगा।
- (14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलो ग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (15) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क बेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत है—

- 1—परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।

- 2- गीले कूड़े का निस्तारण बायो गैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।
- 3-सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें
- 4- परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden Waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।
- 5-परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- (16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2. फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन-

- (1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के कम में नगर पंचायत सीमान्तगत हाथ से मैला उठाना प्रतिबन्धित है।
- (2) नगर पंचायत की सीमान्तगत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु० 05.00 लिया जायेगा।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तगत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु० 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु० 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु० 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।
- (4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि रु० 50,000/- वसूल करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (5) नगर पंचायत सीमान्तगत समस्त प्राइवेट डी०-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी०-स्लजिंग आपरेटरों स्वयं की होगी।
- (6) कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (7) नगर पंचायत सीमान्तगत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

- (8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भूस्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु०-1,500/- अथवा (समय-समय पर मा० बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।
- (10) सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेन्ट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हो।
- (11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैषी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधायें नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल बेंच मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर बाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल बेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिये ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- (12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल बेंच मार्क निम्नवत है:-

क्र०सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	2	3	4
01.	केयर टेकर का नाम, मो० नं०, टोयलेट आई०डी०, प्रत्येक सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200
02.	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
03.	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झास फैन द्वारा	500
04.	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
05.	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टे में	100

1	2	3	4
06.	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	मैं उपलब्ध	1,000
07.	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000
08.	सीट, बेसिन फर्श, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
09.	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्दिक, एयर फ्रैशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनाये जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10.	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11.	शौचालय के फण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12.	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाये।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टीशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाए जिसमे शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा बॉस वेसिन उपलब्ध।	200

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामि/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुये निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे०सी०बी० निर्धारित शुल्क मु०-2,000 प्रति घंटे तथा ट्रैक्टर ट्राली प्रति दीप 1,500 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

- (4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्कों में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामि को चिन्हित करते हुये जुर्माना धनराशि मु०-2,000 वसूल किया जायेगा।

4. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) भारत सरकार का राजपत्र सं०-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं०-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।
- (2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- (3) 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है—
- (क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाइनरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।
- (ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइनरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।
- (ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, काटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी०बी०सी० बैनर, रिट्रार का भी 1 जुलाई 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है, जो नगर पंचायत में भी लागू है।

क्रम० सं०	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि रूपयों में
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम—500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम—01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम—05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजन क्यों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाने पर।	25,000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत गौरीबाजार जनपद देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत गौरीबाजार जनपद देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में दण्ड प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट

अध्यक्ष,

नगर पंचायत गौरीबाजार,
देवरिया।

कार्यालय, नगर पंचायत मदनपुर, देवरिया

01 दिसम्बर 2025, ई०

सं० 2218/न०पं० मदनपुर/उपविधि/2025 नगर पंचायत मदनपुर जनपद-देवरिया अपने सीमान्तर्गत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2025 बनायी है। जिसमें आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। उक्त नियमावली के सम्बन्ध में उसके बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मदनपुर जनपद देवरिया को सम्बोधित करके लिखित रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। केवल लिखित रूप से प्रेषित आपत्तियों एवं सुझावों हेतु स्वतंत्र जनमित्र एवं राष्ट्र चिन्ह में दिनांक 02.12.2025 को प्रकाशित कराकर आपत्ति सुझाव मांगा गया था। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी जो गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पंचायत मदनपुर, जनपद-देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत मदनपुर, जनपद-देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषायें—

- (1) “अध्यक्ष का तात्पर्य” नगर पंचायत मदनपुर, जनपद-देवरिया के अध्यक्ष से है।
- (2) “अधिशासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत मदनपुर, जनपद-देवरिया के अधिशासी अधिकारी से है।
- (3) “नगर पंचायत का तात्पर्य” नगर पंचायत मदनपुर, जनपद-देवरिया से है।

1- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु० 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु० 1,000.00 प्रति प्रकरण।
- (2) किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु०—500 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु० 1,000.00 प्रति पशु।
- (3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान/चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु० 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।
- (4) नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 तथा वाटर पलूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2000 रु० जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।
- (5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु० 2,000 प्रति प्रकरण।
- (6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग वाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के गये हुए अवशेष नालियों ने डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु० 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन०जी०टी० एक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु० 50,000.00 (पच्चास हजार रूपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु० 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- (7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, घुलाई व फिलिंग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से समान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैधकब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु० 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु० 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।
- (8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु० 5,000.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु० 5000.00 प्रति अदद प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
- (9) गेस्ट हाउस बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु० 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000/—रु० प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

- (10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबन्धित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु० 3,000.00 देय होगा।
- (11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1,000 रु० की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
- (12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में सूखे कूड़े, गीले कूड़े हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।
- (13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु० 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु० 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जाएगा।
- (14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलो ग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क बेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (15) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत है —

- 1— परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।
- 2— गीले कूड़े का निस्तारण बायो गैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।
- 3— सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।
- 4— परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।
- 5— परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी इशा में परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

- (16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2. फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैन्युअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।
- (2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु० 05.00 लिया जायेगा।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु० 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु० 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु० 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।
- (4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि रु० 50,000/- वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी०-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी०-स्लजिंग आपरेटरों की होगी।
- (6) कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-रलजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे टोल फ्री नम्बर-14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत मदनपुर से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।
- (8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी) खुले स्थानों (खेत प्लाट गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भू-स्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु०-1,500/- रु० अथवा (समय-समय पर मा० बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

- (10) रोटिक टैंक/ओ.एस.एस. का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेन्ट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओ.एस.एस. से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउट लेट न हों।
- (11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएँ रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएँ नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वैध मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। अनुपालन करते हुए न पाये जाने पर नीचे प्रदर्शित अर्थदण्ड देय होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वैध मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- (12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल बेंच मार्क निम्नवत है—

क्र० सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थ-दण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रु०
1.	केयर टेकर का नाम, मो० नं० टॉयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200
2.	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3.	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/एग्जॉस्ट फैन द्वारा	500
4.	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5.	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6.	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीड-बैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1,000
7.	दिव्याग हितैषी सीट बच्ची की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रेम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रेग्य की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000
8.	सीट बेसिन कर्स दीवार दरवाजा आईना हैण्ड ड्रायर सेनेटरी वेण्डिम नेपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	200

1	2	3	4
			रु0
9.	साबुन, हैण्डवास, फिनायल हार्पिक एयर प्रेशर (ओडोनिल डस्टबिन, झाड़ू वाइपर ब्रश टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी सुरक्षा पहनाये जैसे— गलब्स, गमबूट हेलगेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10.	सेनेटरी पेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेन्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11.	शौचालय के फर्श पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/समुदायिक शौचालयों पर	200
12.	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थायें।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टिशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाये जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस बेसिन उपलब्ध।	200

3 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय को सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे०सी०बी० निर्धारित शुल्क मु0-2,000 रु0 प्रति घंटे तथा ट्रैक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1,500 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।
- (4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियों, पार्को में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामी को चिन्हित करते हुए जुर्माना धनराशि मु0-2,000 रु0 वसूल किया जाएगा।

4. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) भारत सरकार का राजपत्र सं०-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं०-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक

अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(3) 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है—

(क) पोलीस्टाईनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें कप गिलास, काटें, चम्मच, चाकू स्ट्रा, ट्रे, कटलरी मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी०बी०सी० बैनर रिट्रर का भी 01 जुलाई 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है—

क्र० सं०	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि रूपयों में
1	2	3
		₹0
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(ख) 2	101 ग्राम 500 ग्राम	2,000
(ग) 3	501 ग्राम 01 किलोग्राम	5,000
(घ) 4	01 किलोग्राम 05 किलोग्राम	10,000
(ङ) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
ख	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठानदुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों (ख) भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंके जाने पर।	25,000
ग	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या याणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/(ग) कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों,	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत मदनपुर, जनपद-देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत मदनपुर, जनपद देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत मैनपुर,
देवरिया।

कार्यालय नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया

24 जून, 2026 ई0

सं0 530/न0पं0र0/वर्ष 2023-24-संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 यू0पी0 ऐक्ट सं0-02-1916 की धारा 298(2) खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये नगर पंचायत रतसरकलां, जनपद बलिया अपने सीमान्तर्गत विज्ञापन शुल्क एवं विनियमन उपविधि/उपनियमावली प्रस्तावित करती है।

उपविधि का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 301(1) के अधीन समस्त नगर निवासियों को सूचना एवं आपत्तियों की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र "विकास आज एवं हिन्दुस्तान" में 20 दिसम्बर, 2023 एवं 21 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

उप-नियमावली

1- संक्षिप्त नाम- यह उप-नियमावली नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया "विज्ञापन शुल्क विनियमन उप नियमावली", वर्ष 2023 के नाम से पुकारी जायेगी।

2- विस्तार- यह उप-नियमावली नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया की सीमान्तर्गत प्रभावकारी होगी।

3- प्रारम्भ- यह उप-नियमावली विहित अधिकारी की पुष्टि से राजकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावकारी होगी।

4- उद्देश्य- यह उप नियमावली संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-296 के प्राविधानानुसार प्रतिष्ठान/भवन/पुल/मार्ग/फुटपाथ या उससे संलग्न भूमि, पेड़, बाउण्ड्रीवाल, विद्युत या टेलिफोन के खम्भों, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर सम्प्रदर्शित/प्रदर्शित विज्ञापन व्यवस्था में विनियमन एवं उससे शुल्कों की वृसली हेतु सार्वजनिक सुविधा के उद्देश्य से निर्मित की गई है।

5- परिभाषा- जब तक विषय या प्रसंग में कोई असंगत बात प्रकट न हो, वे इस उप-नियमावली में-

(क)- "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया से होगा।

(ख)- "अधिनियम" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से होगा।

(ग)- "नगर शुल्क" से तात्पर्य इस नियमावली में निर्धारित शुल्क से होगा।

(घ)- दुकान/प्रतिष्ठान/भवन/पुल/मार्ग/फुटपाथ या उससे संलग्न भूमि, पेड़, बाउण्ड्रीवाल, नगर पालिका द्वारा विद्युत या टेलिफोन के खम्भों, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर सम्प्रदर्शित/प्रदर्शित विज्ञापन का तात्पर्य इस नगर पंचायत रतसरकलां के सीमान्तर्गत स्थित से होगा।

(ड) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के अध्यक्ष/प्रशासक (जैसी भी स्थिति हो) से होगा।

(च) "अधिकासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के अधिकासी अधिकारी से होगा।

6— कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत सीमान्तर्गत कोई भी विज्ञापन नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट विज्ञापन प्रकाशन स्थलों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर नगर पंचायत से अनुमति प्राप्त किये बिना प्रकाशित नहीं करेगा।

7— ऐसे व्यक्ति जो नगर पंचायत सीमान्तर्गत कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने का इच्छुक होगा, प्रकाशन करने से पूर्व नगर पंचायत की अनुमति प्राप्त करेगा। जिसके लिये उसे आगे निर्धारित दर एवं रीति के अनुसार विज्ञापन शुल्क का भुगतान करना होगा।

8— इस उप-नियमावली के अन्तर्गत शुल्क जमा करने की रसीद ही अनुमति मानी जायेगी।

9— नगर पंचायत का कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसके जिम्मे इस शुल्क की वसूली का कार्य सौंपा गया हो, शुल्क जमा करने की रसीद अवधायक व्यक्ति से मांग कर चेक (जांच) कर सकता है और बिना अनुमति प्राप्ति की विज्ञापन प्रकाशन करने के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही कर सकता है अथवा ऐसे व्यक्ति के याचना करने पर देय शुल्क की 20 गुना की सीमा तक अभिराधान (कम्पाउण्ड) कर सकता है।

10— नगर पंचायत इस उप-नियमावली के अन्तर्गत शुल्क की वसूली किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार निर्धारित अवधि के लिए ठेका प्रथा पर भी कार्य करा सकती है, जिसकी प्रक्रिया समय-समय पर बोर्ड/प्रशासक अपने संकल्प द्वारा निर्धारित करेंगे।

नोट—

(i)— या उप-नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापन पर लागू नहीं होगी।

(ii)— नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के कार्यालय कार्य/शासकीय हित में प्रयोग विज्ञापन, शुल्क मुक्त होंगे।

विज्ञापनों एवं इसके सापेक्ष उप-नियमावली में निर्धारित दरों का विवरण

1	2	3
1—	(i)— नगर पंचायत क्षेत्र की भूमि, दीवारों, भवनों, सार्वजनिक स्थल, सड़कों पर विज्ञापन पट्ट के लिये।	स्थान का किराया रु0 25.00 वर्ग फिट वार्षिक।
	(ii)— निजी भूमि, दीवारों भवनों अन्य स्थलों आदि पर एवं लटकाये जाने वाले विज्ञापन पट्ट के लिये।	विज्ञापन शुल्क रु0 10.00 वर्ग फिट वार्षिक।
2—	बैनर	विज्ञापन शुल्क रु0 10.00 वर्ग फिट वार्षिक।
3—	पोस्टर	विज्ञापन शुल्क रु0 1.00 वर्ग फिट वार्षिक।
4—	वाल राइटिंग	विज्ञापन शुल्क रु0 2.00 वर्ग फिट वार्षिक।

1	2	3
5—	वाहनों पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों पर—	
	(i)— हाथ ठेला	विज्ञापन शुल्क रु० 50.00 प्रति वाहन वार्षिक।
	(ii)— रिक्शा ट्राली	विज्ञापन शुल्क रु० 60.00 प्रति वाहन वार्षिक।
	शक्ति चालित वाहनों पर—	
	(iii)— तीन पहिया वाहन	विज्ञापन शुल्क रु० 100.00 प्रति वाहन वार्षिक।
	(iv)— चार पहिया वाहन	विज्ञापन शुल्क रु० 150.00 प्रति वाहन वार्षिक।
6—	ग्लोसाइन/नियोसाइन	विज्ञापन शुल्क रु० 100.00 वर्ग फिट वार्षिक।
7—	रोड/डिवाइस/रोड साइड सरकारी विद्युत या टेलिफोन खम्भों पर सेन्टर पोल कियास्क (3X2)	विज्ञापन शुल्क रु० 1,000.00 प्रति अदद वार्षिक।
8—	आकाश चिन्ह द्वारा विज्ञापन	विज्ञापन शुल्क रु० 50.00 प्रति अदद प्रति माह।
9—	केबल/डिस्क द्वारा	विज्ञापन शुल्क रु० 50.00 प्रति माह।
10—	किसी अन्य विधि से अथवा उपरोक्त में सम्मिलित न हो या उल्लेख न हो, के द्वारा विज्ञापन	विज्ञापन शुल्क रु० 20.00 प्रति वर्ग फिट प्रति माह।

दण्ड

उक्त अधिनियम की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि इस उप-नियमावली का उल्लंघन करने की दशा में अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रु० 1,000.00 (एक हजार रु० मात्र) तक होगा। यदि ऐसा उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड भी दिया जायेगा जो पहले अपराध सिद्ध होने के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराध निरन्तर जारी रहा तो रु० 10.00 (दस रुपया) प्रति दिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा।

संकल्प

सं०प्रा० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298(2) ई०बी० के अन्तर्गत पार्किंग उपविधि निर्मित हेतु प्रदत्त प्रस्तावित है यदि इस प्रस्ताव से पूर्व नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया द्वारा कोई उप-नियमावली प्रस्तावित हो तो उसे खण्डित समझा जाय।

अजय कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत रतसरकलां,
बलिया।

कार्यालय नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया

24 जून, 2026 ई0

सं0 529/न0पं0र0/वर्ष 2023-24—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 यू0पी0 ऐक्ट सं0-02-1916 की धारा 298(2) खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये नगर पंचायत रतसरकलां, जनपद-बलिया अपने सीमान्तर्गत नाट्यशाला, प्रेक्षागृहों, केबिल आपरेटर एवं व्यवसायिक प्रदर्शन शुल्क उपविधि/उप नियमावली प्रस्तावित करती है।

उपविधि का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 301(1) के अधीन समस्त नगर निवासियों को सूचना एवं आपत्तियों की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र "राष्ट्रीय सहारा एवं विकास आज" में 21 दिसम्बर 2023 एवं 22 दिसम्बर 2023 को प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

नियमावली

1—शीर्षक—यह उप नियमावली नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया "नाट्यशाला, प्रेक्षागृहों, केबिल आपरेटर एवं व्यवसायिक प्रदर्शन पर कर लगाने व वसूल करने की नियमावली", वर्ष 2023 कहलायेगी।

2—प्रकृति—यह उप नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—परिभाषाएँ—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उप नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया से है।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के बोर्ड से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया से है।

(च) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी मनोरंजन का मनोविनोद का प्रबन्ध करने के लिये उत्तरदायी हो।

(ज) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128(1) के खण्ड 2 (IV क) में प्रस्तावित नाट्यशाला कर (विनोद या आमोद) पर कर से है।

4— कर देने का दायित्व नियमावली में निम्न सूची में दिये हुये दर से स्वामी ऐसे मनोरंजनो या मनो-विनोदों पर जिसका प्रदर्शन या अभिनय नगर पंचायत, रतसरकलां, जनपद बलिया की सीमा के अन्तर्गत आयोजित संचालित किया जाता है जिसमें व्यक्ति साधारणतया भुगतान करने पर प्रवेश पाते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में कोई देय नहीं होगा जब—

(1) ऐसे मनोरंजन एवं मनोविनोदों में प्रवेश पाने के लिये प्रत्येक प्रदर्शन या अभिनय में प्रति व्यक्ति रुपया 1.00 या इस से कम शुल्क लिया जाता है।

(2) उन प्रदर्शनों पर जो मनोरंजन कर से मुक्त हो।

(3) ऐसे अभिनय या प्रदर्शन से प्राप्त हुई प्राप्तियों को लोकोपकारी, धार्मिक या दोनों प्रयोजनों में लगाया जाता हो।

(4) इसकी सूचना ऐसे मनोरंजनो या मनोविनोद की सूचना कम से कम एक दिन पूर्व में दी गयी हो ऐसे अभिनय या प्रदर्शन की शुद्ध प्राप्तियों की गणना करने में सम्पूर्ण प्राप्तियों के 25 प्रतिशत व्यय संयोजन काटा जा सकता है।

5—कर का भुगतान—नियमित रूप से आयोजित या सिनेमा प्रदर्शन की दशा में रविवार का समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम दिन देय होगा। समय पर कर न जमा होने पर स्थाई प्रेक्षागृह रुपये 50.00 प्रतिदिन एवं केवल आपरेटर व्यवसायिक एवं अन्य पर रुपये 10.00 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड होगा। खण्ड-1 में अभीष्ट प्रदर्शनों या अभिनयों प्रदर्शनों या अभिनयों से निम्न प्रदर्शन आयोजित संचालित किये जाने से कम से कम 3 दिन पूर्व किया जावेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विशेष मामलों में अधिशासी अधिकारी उन कारणों में जो अभिलिखित किये जायेंगे खण्ड के अभीष्ट में अधिशासी अधिकारी उन कारणों में जो अभिलिखित किये जायेंगे खण्ड के अभीष्ट प्रदर्शनों या अभिनयों के सम्बन्ध में उनके आयोजन या संचालन के पूर्व या किसी समय कर का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है।

6— कर का भुगतान करने का स्थान— कर का भुगतान नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के कार्यालय या ऐसे स्थान पर किया जायेगा, जो अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय—

(1) अधिशासी अधिकारी द्वारा रजिस्टर का रखा जाना— अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी जायेगी।

(क) नगर में मनोरंजन या मनोविनोद के सम्बन्ध में ऐसे विवरण जो उचित समझे।

(ख) कर के देनदार व्यक्तियों के नाम।

(ग) प्रत्येक सप्ताह नगर में मनोरंजन या मनोविनोद के अभिनयों अथवा प्रदर्शनों सम्भाव्य संख्या और पर देय कर की अनुमति धनराशि और

(घ) ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक समझें।

(2) अधिशासी अधिकारी यह आवश्यक समझे तो ऐसे प्रदर्शनों के लिये ऐसे वर्गीकरण के साथ उचित समझें रजिस्टर के पृथक विवरणों या खण्डों में रख सकता है।

(3) अधिशासी अधिकारी अन्य रजिस्ट्रों को भी ऐसे प्रपत्रों और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो आवश्यक समझें रख सकता है।

7— स्वामी द्वारा विवरण और सूचना प्रस्तुत किया जाना—

(1) स्वामी उस दिनांक को जब किसी प्रदर्शन, अभिनय के लिये कर का भुगतान किया जावे। अधिशासी अधिकारी को इस नियमावली में निम्न प्रपत्र में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी की तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उक्त नियम-1 में लिखित विवरण को प्रस्तुत किये जाने की विधि को शिथिल कर सकता है।

(3) प्रत्येक स्वामी अधिशासी अधिकारी को ऐसी सूचना देगा जिसकी वजह कर लगाने के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करें।

मनोविनोद, अभिनय या प्रदर्शन का नाम और स्थान—

दिनांक	दिन	आयोजित अभिनयों की संख्या	प्रदर्शनी पर देय पर कर की धनराशि	अभियुक्ति की गई हो
1	2	3	4	5
	सोमवार			
	मंगलवार			
	बुधवार			
	बृहस्पतिवार			
	शुक्रवार			
	शनिवार			
	रविवार			

सप्ताह में आयोजित प्रदर्शनों या अभिनयों की कुल संख्या

दिनांक.....

देय कुल धनराशि
स्वामी के हस्ताक्षर

8— दरों की सूची—

(1)— नगर पंचायत, रतसरकलां, क्षेत्र के अन्तर्गत नियमित रूप से चलने वाले प्रथम श्रेणी सिनेमा घर जिनका मूल्य रुपये 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) या उससे अधिक हो। प्रेक्षागृह कर रु0 50.00 प्रति शो।

(2)— द्वितीय श्रेणी के सिनेमा घरों जिनकी वार्षिक मूल्य रुपये 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) से कम हो। प्रेक्षागृह कर रु0 30.00 प्रति शो।

(3)— नगर पंचायत, रतसरकलां क्षेत्र में नियमित रूप से चलने वाले/पार्ट समय में चलने वाले थियेटर, सिनेमा, अन्य मनोरंजन आर्कस्ट्रा, सर्कस, नौटंकी आदि पर रुपया 20.00 प्रति शो।

(4)— केबिल आपरेटर व्यावसायिक का प्रदर्शन प्रतिदिन, रुपया 10.00 प्रतिदिन।

9— धनराशि वापस करना— अधिशासी अधिकारी को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर मनोरंजन या मनोविनोद के किसी भी अभिनय या प्रदर्शन के सम्बन्ध में भुगतान के कर की धनराशि को वापस कर देगा यदि उसका यह समाधान हो जाय कि—

(क)— ऐसे अभिनय या प्रदर्शन वास्तव में नहीं हुआ है और इच्छुक दर्शकों से वसूल की गई धनराशि व्यहार्थ पूरा-पूरा वापस कर दी गई है।

(ख)— भुगतान की गई धनराशि वैध रूप से वसूल करने योग्य नहीं थी।

10— नियम-8 के खण्ड (ख) के अधीन धनराशि वापस करने का कोई दावा अधिशासी अधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा जब तक उसे तदर्थ एक प्रार्थना-पत्र अभिनय या प्रदर्शन न होने वाले दिन से 30 दिन की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत न कर दिया जाय।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थ दण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का करावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अजय कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत रतसरकलां,
बलिया।

कार्यालय नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया

24 जून, 2026 ई0

सं0 532/न0पं0र0/वर्ष 2023-24—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 यू0पी0 ऐक्ट सं0-02-1916 की धारा 298(2) खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये नगर पंचायत रतसरकलां, जनपद-बलिया अपने सीमान्तर्गत भवन कर/जलकर उपविधि/उपनियमावली प्रस्तावित करती है।

उपविधि का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 301(1) के अधीन समस्त नगर निवासियों को सूचना एवं आपत्तियों की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र "विकास आज एवं दैनिक जागरण" में 20 दिसम्बर, 2023 एवं 22 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

नियमावली

1— शीर्षक— यह उपनियमावली नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया "भवन कर/जलकर" नियमावली, वर्ष 2023 कहलायेगी।

2— प्रकृति— यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3— परिभाषाएँ— जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत रतसरकलां से है।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के बोर्ड से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया से है।

(च) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) "स्वामी" से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जिसमें किसी भवन अथवा भूमि का वैधानिक रूप से मान्य स्वामित्व विहित हो।

(ज) "अध्यासी" से तात्पर्य वह व्यक्ति जो भूमि अथवा भवन का किरायेदार हो या काबिज दाखिल।

(झ) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में यथा परिभाषित भवन अथवा भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर रोपित कर से है।

(ञ) "भवन" गृह की परिभाषा में दुकानें, मकान एवं उसका बरामदा (कच्चा एवं पक्का) सहन, दालान, कमरा तथा व्यवसाय उपयोग में आने वाले मकान स्ट्रक्चर तथा उसकी संलग्न भूमि की चहारदीवारी सहित निर्माण माने जाएंगे।

4— वार्षिक मूल्य— का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 में अंकित परिभाषा से है।

5— (अ) कई भवन एक ही चहार दीवारी अर्थात् हाता में हो तो प्रत्येक भवन का पृथक नम्बर तथा वार्षिक मूल्यांकन होगा।

(ब) यदि एक भवन के कुछ भाग में भवन स्वामी तथा कुछ भाग किरायेदारी पर है तो ऐसी स्थिति में स्वयं निवासित भाग का अलग तथा वास्तविक किरायेदारी का अलग विवरण लिखकर वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाएगा, भवन स्वामी/अध्यासी की प्रार्थना पर वार्षिक मूल्य टेनामेन्ट्स (अलग-अलग) से निर्धारित किया जायेगा।

6—(अ) गृह कर, जलकर प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल को देय होगा। बिल न प्राप्त होने पर 30 सितम्बर तक अथवा बिल प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर सम्पूर्ण भुगतान करने की दशा में केवल जारी वर्ष के करों में 10 प्रतिशत तक की छूट देय होगी।

(ब) 30 सितम्बर तक की छूट की दरों की घोषणा अन्तिम तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व प्रशासक/अध्यक्ष की छूट देय होगी।

(स) यदि 30 सितम्बर के पश्चात् बिल प्राप्त कराये जाते हैं तो 30 सितम्बर तक की छूट की अधिकतम घोषणा का 50 प्रतिशत छूट निर्धारित अवधि में भुगतान पर देय होगी।

(द) 31 मार्च तक भुगतान प्राप्त न होने की दशा में समस्त कर धनराशि पर 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ ठीक अगली प्रथम अप्रैल से देय होगा। प्रत्येक वर्ष विलम्ब शुल्क की गणना केवल करों के अवशेष पर होगी, कुल मांग योग पर प्रत्येक वर्ष का विलम्ब शुल्क, यदि हो की गणना अलग से होगी।

7— (अ) मूल्यांकन सूची में अंकित भवन स्वामी अध्यासी के नाम से जारी मांग बिल (करों) का भुगतान नहीं करता है और स्वयं में नहीं रहता है ऐसी स्थिति में भवन कर काबिज (किरायेदार) अध्यासी को नोटिस देकर वसूली की जायेगी।

(ब) किरायेदार से वसूला गया कर, भवन स्वामी अपने किराये से समायोजित करेगा।

8—मूल्यांकन अथवा उसके किसी भाग की "नकल फीस नियमावली" के अनुसार दी जायेगी।

9— (अ) भवन का स्थानान्तरण रजिस्ट्री/वसीयत/हिवा/दान/उपहार/विरासत आदि कारणों से होता है तो हस्तान्तरण हेतु की गयी कार्यवाही स्वामी की मृत्यु की तिथि से तीन माह के अन्दर सूची नामान्तरण कराने हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप जिसका मूल्य रु0 2.00 होगा, नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया में दिया जायेगा।

(ब) तीन मास के बाद तथा 9 मास के तक लेट फीस (विलम्ब शुल्क) रु0 25.00 देय होगा। इस अवधि के पश्चात् प्रत्येक वर्ष का विलम्ब शुल्क रु0 20.00 देय होगा।

10—वे भवन/भूमि जिनका वार्षिक मूल्य 360.00 रु0 या उससे कम है गृहकर, जलकर से मुक्त होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि भवन स्वामी का उक्त भवन के अतिरिक्त नगर में कोई अन्य भवन अथवा भूमि नहीं होनी चाहिए। नगर पंचायत के संतुष्ट होने पर करों की मुक्ति साल व साल देय होगी।

11—वे भवन जिनसे नगर पंचायत की वाटर पाइप लाइन 200 मीटर की परिधि से अधिक दूरी पर है, जलकर से मुक्त होंगे।

12—कोई भवन या उसका कोई भाग जिसका वार्षिक मूल्य पृथक (टेनामेन्ट) से अंकित किया गया है यदि किसी वर्ष 90 दिन या इस अवधि के गुणांक खाली पड़ा रहे और किराये भी प्राप्त न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग पर लगे गृहकर, जलकर का परिहार कर दिया जायेगा या वापस कर दिया जायेगा।

13—(अ) भवनों और भूमियों के वार्षिक मूल्यांकन पर गृहकर 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक कर निर्धारण होगा।

(ब) रु0 5000.00 या उससे अधिक वार्षिक मूल्यांकन पर गृहकर 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक कर निर्धारण होगा।

14—वे भवन, भूमि गृहकर से मुक्त होंगे जो—

(अ) सार्वजनिक पूजा, उपासना के रूप में प्रयोग होते हैं।

(ब) धर्मशाला जिसमें तीर्थ पर जाने वाले यात्री ठहरें और ठहरने के एवज में कोई भुगतान न करें।

(स) मान्यता प्राप्त पुस्तकालय, कब्रिस्तान/शमशानघाट।

(द) कोर्ट, कोषागार, सरकारी असलहाखाना, जेल/कार्यालयों को छोड़कर।

(य) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएँ, छात्रावास तथा कार्यालयों को छोड़कर।

(र) सार्वजनिक क्रीड़ा-स्थल कार्यालय, आवासीय स्थान, कैटीन को छोड़कर।

(ल) भवन जो नगर पंचायत, स्वामित्व के हो।

(व) विशेष परिस्थितियों में भवन स्वामी के आग्रह पर प्रशासक/बोर्ड के संतुष्ट होने की दशा में एक वर्ष का गृहकर से मुक्त कर सकता है, एक वर्ष से अधिक बकाया की दशा में शासन की अनुमति ली जायेगी।

15—केवल जो नगर पंचायत के कर्मचारियों के नाम हों तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया द्वारा देय हो, गृहकर एवं जलकर से पेंशन अवधि तक मुक्त होंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि कर्मचारी पेंशन प्राप्तकर्ता का नगर में एक से अधिक अन्य भवन या भूमि न हो तथा भवन आंशिक अथवा पूरा किरायेदारी पर न हो।

16—इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में विहित प्राधिकारी/आयुक्त यदि संतुष्ट है कि उक्त विधि के किसी प्राविधान का दुरुपयोग नगर द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधानों को निलम्बित करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार विहित प्राधिकारी/आयुक्त को होगा।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थ दण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का करावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अजय कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत रतसरकलां,
बलिया।

कार्यालय, नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया

24 जून, 2026 ई०

सं० 533/न०प०र०/वर्ष 2023-24—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 यू०पी० ऐक्ट संख्या-02-1916 की धारा-298(2) खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये नगर पंचायत रतसरकलां, जनपद बलिया अपने सीमान्तर्गत सड़क, पटरी अल्पावधि उपयोग एवं मोटर गाड़ी पार्किंग शुल्क उपविधि/उप नियमावली प्रस्तावित करती हैं।

उपविधि का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा-301(1) के अधीन समस्त नगर निवासियों को सूचना एवं आपत्तियों की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र "विकास आज एवं दैनिक जागरण" में 20 दिसम्बर, 2023 एवं 22 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

विज्ञप्ति

नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(2) आदि के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अपने सीमाओं के अन्दर उक्त अधिनियम की धारा-298(2) की सूची के खण्ड (एच) (बी) के अन्तर्गत सड़क पटरी अल्पावधि उपयोग एवं मोटर गाड़ी पार्किंग शुल्क निर्धारण के निमित्त निम्नलिखित उप नियमावली प्रस्तावित करती है।

उप नियमावली

1— संक्षिप्त नाम— यह उप नियमावली नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया सड़क/पटरी अल्पावधि उपयोग एवं मोटर गाड़ी पार्किंग विनियम उप नियमावली, 2023 के नाम से पुकारी जायेगी। जो राजकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावकारी होगी।

2— विस्तार— यह उप नियमावली नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया की सीमान्तर्गत प्रभावकारी होगी।

3— उद्देश्य— यह उप नियमावली उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 (2) की सूची-41 के खण्ड (एच) (बी) के प्राविधानानुसार सड़क एवं पटरियों के अल्पावधि उपयोग एवं मोटर गाड़ीयों की पार्किंग व्यवस्थित करने एवं यातायात के विनियमन एवं उससे शुल्कों की वसूली हेतु सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा के उद्देश्य से निर्मित की गई है।

4— परिभाषा— जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई असंगत बात प्रकट न हो वे इस उप नियमावली में—

i— **नगर पंचायत** से तात्पर्य नगर पंचायत, रतसरकलां, बलिया से होगा।

ii— **अधिनियम** से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से होगा।

iii— **शुल्क** से तात्पर्य इस नियमावली में निर्धारित शुल्क से होगा।

iv— **सार्वजनिक सड़क** से तात्पर्य इस नगर पंचायत के सीमा से गुजरने वाली किसी भी प्राधिकरण की सड़क से होगा, जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात के लिये हो तथा उक्त सड़क पर प्रकाश, सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा की जाती हो।

v— **मोटर गाड़ीयों** से तात्पर्य प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में यथा परिभाषित मोटर गाड़ी से होगा।

vi— **अध्यक्ष** से तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के अध्यक्ष/प्रशासक (जैसी भी स्थिति हो) से होगा।

vii— अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के अधिशासी अधिकारी से होगा।

5— (i)— कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत सीमान्तर्गत कोई भी मोटर गाड़ी नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट पार्किंग स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर विश्रामार्थ अथवा व्यापारिक दृष्टि से जिसमें सवारी लादना अथवा उतारना भी सम्मिलित है, खड़ा नहीं करेगा।

(ii)— नगर पंचायत समिति द्वारा अपनी सीमा के अन्दर सार्वजनिक सुरक्षा, सुविधा, यातायात नियन्त्रण, लोकन अप्रदूषण एवं अन्य बातों को ध्यान में रखकर व्यापारिक दृष्टि से वाहनों को खड़ा करने, माल अथवा सवारी लादने या उतारने अथवा विश्राम आदि के लिए आवश्यकतानुसार समय-समय पर पार्किंग स्थान/स्टैण्ड निर्धारित करेगी।

6— ऐसा व्यक्ति जो पार्किंग स्थल/स्टैण्ड का उपयोग करने का इच्छुक होगा, उपयोग करने के पूर्व नगर पंचायत की अनुमति प्राप्त करेगा जिसके लिए उसे आगे निर्धारित दर एवं रीति के अनुसार पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

7— इस उप नियमावली के अन्तर्गत शुल्क जमा करने की रसीद ही अनुमति मानी जायेगी।

8— नगर पंचायत का कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसके जिम्मे इस शुल्क की वसूली का कार्य सौंपा गया हो, शुल्क जमा करने की रसीद अवधारक व्यक्ति से मांग कर चेक (जांच) कर सकता है और बिना अनुमति प्राप्ति की पार्किंग करने के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। अथवा ऐसे व्यक्ति के याचना करने पर देय शुल्क की 20 गुना की सीमा तक अभिसंधान (कम्पाउण्ड) कर सकता है।

9— नगर पंचायत इस उप नियमावली के अन्तर्गत शुल्क की वसूली किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार निर्धारित अवधि के लिए ठीका प्रथा पर भी कार्य करा सकती है। जिसकी प्रक्रिया समय-समय पर बोर्ड/प्रशासक अपने संकल्प द्वारा निर्धारित करेंगे।

10— नियुक्त कर्मचारी या ठीकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी या प्रतिनिधि को यह आवश्यक होगा कि वह पार्किंग शुल्क प्राप्त कर लेने पर तत्काल रसीद देगा।

11— पार्किंग शुल्क निम्नांकित दर से वसूल किया जायेगा—

मोटर गाड़ी का विवरण	शुल्क प्रति ट्रिप
(1) मोटर, ट्रक, बस	40.00
(2) मिनी बस, टाटा सुमो	20.00
(3) मोटर कार जीप, टैम्पो	20.00
(4) स्टेप कैरेज	40.00
(5) आटो रिक्शा	10.00
(6) अन्य वाहन	15.00

नोट—

(i) यह उप नियमावली उत्तर प्रदेश, सड़क परिवहन विभाग की बसों पर लागू नहीं होगी।

(ii) सरकारी वाहन या व्यक्तिगत वाहन जो किराये पर न चलते हो शुल्क मुक्त होंगे।

(iii) नगर पंचायत रतसरकलां, बलिया के कार्यालय कार्य/शासकीय हित में प्रयोग वाहन शुल्क मुक्त होंगे।

दण्ड

उक्त अधिनियम की धारा-299 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि इस उप नियमावली का उल्लंघन करने की दशा में अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रु0 1,000.00 (एक हजार) मात्र तक होगा। यदि ऐसा उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड भी दिया जायेगा जो पहले अपराध सिद्ध होने के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराध निरन्तर जारी रहा, तो रु0 10.00 (दस) रुपये प्रति दिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा।

संकल्प

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(2) ई बी0 के अन्तर्गत पार्किंग शुल्क उप नियमावली निर्मित हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित है यदि इस प्रस्ताव से पूर्व नगर पंचायत रतसरकलां द्वारा कोई उप नियमावली प्रस्तावित हो तो उसे खण्डित समझा जाये।

अजय कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत रतसरकलां,
बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृष्ण (KRISHNA) पुत्र शिव कुमार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9679 0083 2106 में मेरा नाम विष्णु कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृष्ण (KRISHNA) पुत्र शिव कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कृष्ण पुत्र शिव कुमार,
3 नम्बर, लाखट रोड, न्यू कैट,
इलाहाबाद सी0डी0ए0 (पी), इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राबिया बानो पत्नी सलीम खां हैं जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक खाता, घरेलू गैस कनेक्शन, राशन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित

है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 2681 2536 1908 में मेरा नाम सज्जो बानो अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राबिया बानों पत्नी सलीम खां के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राबिया बानो पत्नी सलीम खां
ग्राम बंगरा धवा, पोस्ट बंगरा धवा,
तहसील मऊरानीपुर, जिला झाँसी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बांके प्रसाद पुत्र राजनाथ राम (BANKEY PRASAD S/O RAJNATH RAM) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-XXXX XXXX 1948 में मेरा नाम बांके प्रसाद (BAKE PRASAD) अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बांके प्रसाद पुत्र राजनाथ राम (BANKEY PRASAD S/O RAJNATH RAM) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बांके प्रसाद पुत्र राजनाथ राम,
ग्राम—बंका खास, पो०—बहादुरगंज,
जनपद—गाजीपुर, उ०प्र०।

NOTICE

It is being informed to the general public that my son's correct name is PRASHANT CHAUDHARY S/o GOVIND PRASAD which is mentioned in his educational certificate, whereas in his Aadhar card number 5261 5767 8003 his name is wrongly mentioned as VISHWARAJ PRATAP GOVIND SINGH CHAUDHARY, In future my son should be known & recognized by his correct name PRASHANT CHAUDHARY S/o GOVIND PRASAD.

Govind Prasad,
S/o YOGENDRA PRASAD,
R/o village Jagdishpur, Post Cholahpur,
District Varanasi.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम भिटहा (BHITAHA) पुत्र स्व० सियम्बर (SIYAMBER) है जो कि मेरे उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट, परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, खतौनी में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4124 8502 8080 में मेरा नाम मिटहा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भिटहा (BHITAHA) पुत्र स्व० सियम्बर (SIYAMBER) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भिटहा पुत्र स्व० सियम्बर,
रूप नारायणपुर गोलियों तहसील-सिराथू,
जनपद—कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सर्वज्ञ शुक्ला पुत्र सुनील कुमार शुक्ला है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—2008 8735 0461 में उसका नाम सर्वक्ष शुक्ला अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सर्वज्ञ शुक्ला पुत्र सुनील कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुनील कुमार शुक्ला पुत्र रामचन्द्र शुक्ल,
नवाबगंज, अटरामपुर,
सोरांव, प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम साक्षी यादव (SAKSHI YADAV) पुत्री राम रतन यादव (RAM RATAN YADAV) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3240 में उसका नाम साखे (Sakhe) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम साक्षी यादव (SAKSHI YADAV) पुत्री राम रतन यादव (RAM RATAN YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित कि जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम रतन यादव पुत्र दया राम यादव,
मठिया सरैया, त्रिलोकी सिंह का पुरवा,
सरैया, फैजाबाद, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दीपांशु मिश्रा (Dipnashu Mishra) पुत्र मनोज

कुमार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8822 में मेरा नाम दीपांशु मिश्रा (Dipanshu mishra) अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दीपांशु मिश्रा (Dipnashu Mishra) पुत्र मनोज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीपांशु मिश्रा पुत्र मनोज कुमार,
ग्राम पोस्ट शाखा तहसील सिराथू,
कौशाम्बी उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रांजल यादव पुत्र सुशील कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3017 में उसका नाम टिकू अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रांजल यादव पुत्र सुशील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुशील कुमार पुत्र श्री राम बहादुर यादव,
कटियाही गारापुर
जिला—प्रयामराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम उम्मे सारा (Umme Sara) पुत्री सईद अहमद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 6892 में उसका नाम उमेश आरा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम उम्मे सारा (Umme Sara) पुत्री सईद अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित कि जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सईद अहमद पुत्र अब्दुल रहमान,
गाटा 260, सरकपुर सरैया लखनऊ,
बख्शी का तालाब, कमलाबाद,
बढ़ौली लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शताक्षी पुत्री अनिल कुमार चौबे है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9621 में उसका नाम शतासी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शताक्षी पुत्री अनिल कुमार चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनिल कुमार चौबे पुत्र राजेन्द्र कुमार चौबे,
बकवा, बकावा, बलिया उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राज मौर्या (Raj Maurya) पुत्र जितेन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या—2549 8943 9255 में उसका नाम राजू मौर्या अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राज मौर्या पुत्र जितेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जितेन्द्र कुमार पुत्र कल्लू मौर्या,
टिकरा पोस्ट नकफुलहा,
जिला—रायबरेली उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नरेन्द्र सिंह (NARENDRA SINGH) पुत्र देवीदीन (DEVIDIN) है। जो मेरे परिवार रजिस्टर की नकल, राशनकार्ड, निर्वाचन कार्ड, गैस कनेक्शन और श्रीमान उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0606 में मेरा नाम सतेन्दर सिंह (Satyendra Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नरेन्द्र सिंह (NARENDRA SINGH) पुत्र देवीदीन (DEVIDIN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नरेन्द्र सिंह पुत्र देवीदीन,
ग्राम हंसपुर पोस्ट: देवराहट बांगर,
अमरौधा कानपुर देहात, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्य तिवारी (ARYA TIWARI) पुत्र प्रेम नारायण है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6874 में उसका हिंदी में नाम दिव्यांशू अंकित हो गया है जो कि गलत है एवं अंग्रेजी में ARYA TIWARI अंकित है जो कि सही है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्य तिवारी (ARYA TIWARI) पुत्र प्रेम नारायण के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

प्रेम नारायण तिवारी पुत्र हरिदत्त,
19 नरसवां दालमऊ नारासवां,
रायबरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अर्श पुत्र रमेश है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0— 3066 3043 1885 में मेरा नाम अरशदीप अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अर्श पुत्र रमेश के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अर्श पुत्र रमेश
शाहमर्दानपुर पोस्ट पवई, बस्ती चक
गुलर, आजमगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विघ्नेश्वर पाण्डेय (VIGHNESWAR PANDEY) पुत्र शैलेंद्र पाण्डेय (SHAIENDRA PANDEY) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1737 में मेरा नाम गौरव पाण्डेय (Gaurav Pandey) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विघ्नेश्वर पाण्डेय (VIGHNESWAR PANDEY) पुत्र शैलेंद्र पाण्डेय (SHAIENDRA PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई

विघ्नेश्वर पाण्डेय पुत्र शैलेंद्र पाण्डेय,
शहडीह, लश्करपुर, चोलापुर
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिलीप यादव पुत्र जयशंकर यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6957 में उसका नाम दलित यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिलीप यादव पुत्र जयशंकर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जयशंकर यादव पुत्र रामदास यादव,
डाला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पूजा यादव (POOJA YADAV) पुत्री भारत लाल (BHARAT LAL) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 7232 में मेरा नाम सविता कुमारी (Savita Kumari) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पूजा यादव (POOJA YADAV) पुत्री भारत लाल (BHARAT LAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पूजा यादव पुत्री भारत लाल,
बरई, कुंडा प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम काजल पटेल (KAJAL PATEL) पुत्री राम दुलारे है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 1269 में मेरा नाम (KARISHMA) पुत्री राम दुलारे अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम काजल पटेल (KAJAL PATEL) पुत्री राम दुलारे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

काजल पटेल पुत्री राम दुलारे,
343, परसाखुर्द बुजुर्ग, दरियापुर जंगल,
पोस्ट परसाखुर्द, परसा खुर्द बुजुर्ग उर्फ दरिअपू,
सोनहा, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मुस्कान यादव (MUSKAN YADAV) पुत्री सुरेश यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार संख्या XXXX XXXX 9928 उसका नाम रिया यादव (RIYA YADAV) हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मुस्कान यादव (MUSKAN YADAV) पुत्री सुरेश यादव के नाम से जाना पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेश यादव पुत्री मुस्कान यादव,
बयताल सिद्धार्थ नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पुत्र का सही नाम आरुष निषाद Arush Nishad जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड 6333 8998 4414 में उसका नाम शुभ निषाद Shubh Nishad अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरुष निषाद Arush Nishad पुत्र आशीष कुमार निषाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आशीष कुमार निषाद पुत्र स्व0 गुन्ना निषाद,
अरैल उपरहार, नैनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरी पुत्री का सही नाम काव्या सोनकर पुत्री सुधीर कुमार सोनकर है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 9691 8088 7749

में उसका नाम जन्त सोनकर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम काव्या सोनकर पुत्री सुधीर कुमार सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गुंजा सोनकर पत्नी स्व० सुधीर कुमार सोनकर,
विसुन्दरपुर थाना को० शहर तहसील,
सदर जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा सही नाम कु० रश्मि सिंह (Km Rashim Singh) पुत्री लल्लन सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 2635 में मेरा नाम रश्मी सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० रश्मि सिंह (Km Rashim Singh) पुत्री लल्लन सिंह, पत्नी शिव वीर सिंह, के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० रश्मि सिंह पुत्री लल्लन सिंह,
पत्नी शिव वीर सिंह,
गुटैया पोस्ट जगनपुर,
थाना रूरा, कानपुर देहात, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पुत्र का सही नाम अमन यादव (AMAN YADAV) पुत्र जय सिंह (JAI SINGH) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8970 में उसका नाम अयान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमन यादव (AMAN YADAV) पुत्र जय सिंह (JAI SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जय सिंह पुत्र विन्दा दीन,
अस्लाहपुर ऊंचाहार रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पुत्र Shivam Pandey ने CBSE कक्षा 10 रोल नं० 23277892, उत्तीर्ण वर्ष-2024 और कक्षा-12 रोल नं० 23700569, उत्तीर्ण वर्ष- 2026 के अंक प्रमाण पत्र में मेरा व मेरी पत्नी का नाम गलती से Jaydeep Kumar Pandey और Purnima Pandey अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरा तथा मेरी पत्नी का सही नाम Jaideep Kumar Pandey और Puneeta Devi है जो कि हम लोगो के आधार कार्ड पैन कार्ड में अंकित है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जयदीप कुमार पाण्डेय,
पुत्र स्व० मनोज कुमार पाण्डेय,
ग्राम बिदनपुर पो० ककोढा जनपद कौशाम्बी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा सही नाम वैभव कुमार सविता पुत्र दिनेश कुमार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 5362 में मेरा नाम प्रांजल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वैभव कुमार सविता पुत्र दिनेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

वैभव कुमार सविता पुत्र दिनेश कुमार,
करौली दमा, पोस्ट भीमगंज, डलमऊ,
भीमगंज, रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि फर्म मेसर्स त्रिदेव इंटरप्राइजेज शॉप नंबर 16 शिराज काम्प्लेक्स क्रासिंग चिनहट लखनऊ से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार— श्री सुशील कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती मंजू अग्रवाल साझेदार थे। दिनांक 01 जनवरी, 2026 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री शुभम अग्रवाल साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं, तथा इसी तिथि को फर्म का पता परिवर्तन होकर नया पता खसरा नंबर 284 कंचनपुर देवा रोड मटियारी क्रासिंग चिनहट लखनऊ हो गया है वर्तमान में 03 साझेदार क्रमशः श्री सुशील कुमार अग्रवाल श्रीमती मंजू अग्रवाल एवं श्री शुभम अग्रवाल साझेदार हैं।

श्री सुशील कुमार,
साझेदार,
मेसर्स त्रिदेव इंटरप्राइजेज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत लखनऊ में पंजीकृत है। जिसमें फर्म की साझेदारी में 03 साझेदार थे, जिसमें दिनांक 27 मई, 2024 को नई साझेदारी दिनांक 03 अगस्त, 2026 को लिखी गई जिसमें दिनांक 03 अगस्त, 2026 को नये साझेदार रमाकांत सिंह फर्म की साझेदारी में नए शामिल हो गये हैं। वर्तमान में फर्म के साझेदार हैं—

1. ईशान रस्तोगी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद रस्तोगी, निवासी सी-2129/1, सी-ब्लॉक, इंदिरा नगर, निकट टीकापुरवा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. शालिनी पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह, पत्नी श्री सचिन ज्यागी, निवासी 76 जुलेहरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
3. शशि शंकर सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी जेतीपुर, सहोदीह, बलिया उत्तर प्रदेश।
4. रमाकांत सिंह पुत्र श्री ठाकुरदास निवासी 18/385, निकट सद्भावना पार्क, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

ईशान रस्तोगी,
साझेदार,
भूमि डेवलेपरर्स,
सी-2129/1, सी-ब्लॉक,
इंदिरा नगर, निकट टीकापुरवा,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, मेरा सही नाम सुभान अहमद (SUBHAN AHAMAD) पुत्र निजामुद्दीन (NIJAMUDDIN) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 0392 में मेरा नाम सुहान अहमद (SUHAN AHAMAD) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुभान अहमद (SUBHAN AHAMAD) पुत्र निजामुद्दीन (NIJAMUDDIN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुभान अहमद पुत्र निजामुद्दीन,
बाग कुंजल गिर, मुजफ्फरगंज,
मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम बरखा (BARKHA) पुत्री राजेश कुमार (RAJESH KUMAR) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2157 में उसका नाम प्रिया कुमारी (Priya Kumari) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम बरखा (BARKHA) पुत्री राजेश कुमार (RAJESH KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजेश कुमार पुत्र बेचु राम,
सिद्धि, दरही राम मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रक्शन केशरी (RAKSHAN

KESHARI) पुत्र मनीष कुमार केशरी (MANISH KUMAR KESHARI) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9057 में उसका नाम समर्थ केशरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रक्शन केशरी (RAKSHAN KESHARI) पुत्र मनीष कुमार केशरी (MANISH KUMAR KESHARI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनीष कुमार केशरी पुत्र नारायण दास केशरी,
कुआं के सामने, गणेशगंज
मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि शुक्ला (SRISTI SHUKLA) पुत्री हरि शंकर शुक्ला (HARI SHANKAR SHUKLA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9096 में उसका नाम गायत्री महन्थ शुक्ला अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सृष्टि शुक्ला (SRISTI SHUKLA) पुत्री हरि शंकर शुक्ला (HARI SHANKAR SHUKLA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हरि शंकर शुक्ला पुत्र लल्लन प्रसाद शुक्ला,
रघुनाथपुर गोहरे पुर अमेठी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र प्रताप आर्य पुत्र रवि प्रकाश आर्य है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-8134 8818 1248 में उसका

नाम राज राव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र प्रताप आर्य पुत्र रवि प्रकाश आर्य के नाम से जाना व पहचाना जाय।

नन्दनी पत्नी रवि प्रकाश आर्य
228, सहसपुरा, पोस्ट पुरुषोत्तमपुर नारायनपुर,
जनपद मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अहान सिंह (AHAN SINGH) पुत्र विवेक सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9466 5970 9028 में उसका नाम अहान सिंह (ANAN SINGH) दर्ज हो गया है, जो की गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अहान सिंह (AHAN SINGH) पुत्र विवेक सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विवेक सिंह पुत्र स्व0 शिवलाल सिंह,
161, आम्रपाली बिहार, मैनावती मार्ग, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम साखिया बानो है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8263 4415 8433 में उसका नाम सुहानी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम साखिया बानो पुत्री जुल्फेकार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जुल्फेकार पुत्र लल्लन,
बरई उर्फ मौलवीगंज सराय अकिल कौशाम्बी।

NOTICE

This is to inform you that my correct name is Yadav Bhola Ramakant, son of Ramakant Yadav, as mentioned in my educational records. My name has been mistakenly mentioned as Bhola Yadav on my Aadhaar card number XXXX XXXX 5643, which is incorrect. In future, I should be known by my correct name, Yadav Bhola Ramakant, S/o-Ramakant Yadav.

I have completed all legal formalities.

Yadav Bhola Ramakant

S/o Ramakant Yadav,

Shahmohammadpur, Post Chandrawar,

Rasra, Rasra, Ballia.

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो. आसिब (Mohd. Aasib) पुत्र मो० सरवर है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3597 में उसका नाम आसीब हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो० आसिब पुत्र मो० सरवर के नाम से जाना हुआ पहचाना जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो० सरवर,

रामपुर हनुमानगंज, सुल्तानपुर हनुमानगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु. अनुपमा देवी (Km. Anupama Devi) पुत्री राम औतार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1013 में मेरा नाम अनुपमा देवी (Anupma Devi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम

कु. अनुपमा देवी (Km. Anupama Devi) पुत्री राम औतार पत्नी गोपाल चन्द्र चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनुपमा देवा पुत्री राम औतार,

पत्नी गोपाल चन्द्र चौरसिया,

सरोदा चिरिया कोट मऊ, उ०प्र०।

NOTICE

The general public is hereby informed that the correct name of my son is Naveen Verma S/o Natthuram which is mentioned in his educational records but in my son's Aadhaar Card Number 2847 1030 0123 his name has been wrongly mentioned as Ansh. In future my son should be known by his correct name Naveen Verma S/o Natthuram. It is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me.

Natthuram S/o Ramaiya Prasad,

Village-Motiyari, Tehsil-Naraini,

Distt-Banda U.P.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेदांश सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 2463 3447 3581 में उसका नाम वेदांत कुमार सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेदांश सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अजय कुमार सिंह पुत्र कामतानाथ सिंह,

बांसी, जामताली, प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आरती (ARATI) पुत्री राकेश बिन्द (RAKESH BIND) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड नं० XXXX XXXX 8049 में मेरा नाम शालनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरा सही नाम आरती (ARATI) पुत्री राकेश बिन्द (RAKESH BIND) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आरती पुत्री राकेश बिन्द
ग्राम-मदनपुर, पोस्ट-गोपीगंज,
संत रविदास नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सत्यदेव पुत्र मालिक है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 4576 में उसका नाम समेर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सत्यदेव पुत्र मालिक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मालिक पुत्र कोदोहा,
ग्राम पटेहरा पोस्ट बिलरा पटेहरा,
हलिया लालगंज मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रियांशु पटेल (PRIYANSH PATEL) पुत्र नन्द लाल है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX

6562 में उसका नाम प्रियांशु पटेल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रियांश पटेल (PRIYANSH PATEL) पुत्र नन्द लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपार्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नन्दलाल
उमरपुर नीवा, इलाहाबाद,
धूमनगंज, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम देवहुती देवी (DEVHUTI DEVI) पत्नी स्व० अवधेश सिंह (AVDHESH SINGH) है जो कि मेरे परिवार तालिका तथा मेरे पति की सेवा से सम्बंधित अभिलेख, और श्रीमान उप जिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 5227 में मेरा नाम देहुली देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम देवहुती देवी (DEVHUTI DEVI) पत्नी स्व० अवधेश सिंह (AVDHESH SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

देवहुती देवी पत्नी स्व० अवधेश सिंह,
ग्राम पोस्ट रानीपुर तहसील मंझनपुर,
कौशाम्बी, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष्मान निषाद (AYUSHMAAN NISHAD) पुत्र संदीप निषाद (SANDEEP NISHAD) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX

XXXX 2176 में उसका नाम सुर्याश निषाद अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष्मान निषाद (AYUSHMAAN NISHAD) पुत्र संदीप निषाद (SANDEEP NISHAD) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई

संदीप निषाद पुत्र दीप चन्द्र निषाद,
530ख/185 दीन दयाल नगर, रूपपुर, खदरा,
निराला नगर लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मे0 माँ विन्ध्यवासिनी राईस मिल मोहाव महाराजगंज, गाजीपुर में श्रवण कुमार सिंह पुत्र स्व0 विभूतिनाथ सिंह, बिरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० फौजदार सिंह, मालती सिंह पत्नी श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह एवं रंजना सिंह पत्नी दीपक कुमार सिंह पार्टनर थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को रंजना सिंह पत्नी दीपक कुमार सिंह अपना हक हिस्सा लेकर फर्म से बाहर हो चुकी है। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को आभा सिंह पत्नी श्रवण कुमार सिंह को साझेदार के रूप में सर्वसम्मति से रखा गया। पुनः 01 अप्रैल, 2026 को सर्वसम्मति से रमेश यादव पुत्र अमरदेव यादव, राजेश यादव पुत्र राज नारायण यादव एवं जयप्रकाश यादव पुत्र महेश यादव को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है। फर्म का कार्य यथावत रहेगा। वर्तमान में श्रवण कुमार सिंह, विरेन्द्र प्रताप सिंह, मालती सिंह, आभा सिंह, रमेश यादव, राजेश यादव, एवं जय प्रकाश यादव फर्म को संचालित कर रहे हैं।

श्रवण कुमार सिंह,
साझेदार,
माँ विन्ध्यवासिनी राईस मिल,
मोहाव, महाराजगंज, गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शुभम सिंह (Shubham Singh) पुत्र विनोद

कुमार सिंह है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 7957 में मेरा नाम अभिनव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शुभम सिंह (Shubham Singh) पुत्र विनोद कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शुभम सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह
गोविंदासपुर मुंगराडीह मुंगराबादशाहपुर,
जौनपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनिकेत दीक्षित पुत्र अरुण कुमार दीक्षित है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड संख्या – XXXX XXXX 1231 में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार अपने पुत्र का नाम अनिकेत दीक्षित से बदलकर आलोक दीक्षित (Alok Dixit) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को आलोक दीक्षित पुत्र अरुण कुमार दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरुण कुमार दीक्षित पुत्र सत्य प्रसाद दीक्षित,
ग्राम-पूरे बंशा दीक्षित पोस्ट बाँसी,
जिला सुलतानपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम गुन्निका (Gunnica) पुत्री गुलाब सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-XXXX XXXX 7369 में

उसका नाम गुन्निका पाण्डेय अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य मेरी पुत्री को उसके सही नाम गुन्निका पुत्री गुलाब सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

सुमन पाण्डेय पुत्री स्व० राम नरेश पाण्डेय,
डी-1/503 सेक्टर डी. एल० डी० ए० कालोनी,
कानपुर रोड लखनऊ उ०प्र०।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त पुनर्गठन/संशोधन के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

निशात फात्मा
साझेदार,
मेसर्स निसा इण्डस्ट्रीज
पीलीभीत रोड, रिछा, तहसील बहेड़ी,
जिला बरेली।

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स निसा इण्डस्ट्रीज, पता: पीलीभीत रोड, रिछा, बहेड़ी, जिला बरेली (पंजीकरण संख्या: BAR/0006660) में दिनांक 19 मई, 2026 तक कुल 6 साझेदार क्रमशः श्री तनवीर अहमद, श्रीमती गुलशन आरा, श्री अब्दुल वाजिद, श्री मोहम्मद हाशिम, श्री खलीक अहमद एवं श्रीमती निशात फात्मा कार्यरत थे। सभी साझेदारों की आपसी सहमति से, दिनांक 19 मई, 2026 को चार साझेदार क्रमशः श्री तनवीर अहमद, श्रीमती गुलशन आरा, श्री अब्दुल वाजिद एवं श्री खलीक अहमद स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके (सेवानिवृत्त होकर) फर्म से पृथक हो गए थे। उसी तिथि अर्थात् दिनांक 19 मई, 2026 को फर्म में दो नए साझेदारों, क्रमशः सुश्री सना नजर एवं श्री मोहम्मद मसूद को सम्मिलित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 19 मई, 2026 को फर्म में कुल 4 साझेदार क्रमशः श्री मोहम्मद हाशिम, श्रीमती निशात फात्मा, सुश्री सना नजर एवं श्री मोहम्मद मसूद शेष रह गए थे। पुनः दिनांक 01 जून, 2026 को साझेदार श्री मोहम्मद हाशिम भी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके (सेवानिवृत्त होकर) फर्म से पृथक हो गए। वर्तमान में फर्म में कुल 3 साझेदार शेष हैं, जिनके नाम क्रमशः श्रीमती निशात फात्मा, सुश्री सना नजर एवं श्री मोहम्मद मसूद हैं। उपरोक्त समस्त अवकाश ग्रहण करने वाले (सेवानिवृत्त) साझेदारों का पूर्ण हिसाब-किताब चुकता कर दिया गया है तथा फर्म के साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है।

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि M/s VIKRANT HP GAS AGENCY, Near Canara Bank, Purana Bazar, Binauli, Baghpat U.P. की साझीदारी में श्री नवाब उर्फ नबाब सिंह राणा एवं श्रीमती सरस्वती राणा साझीदार थे। दिनांक: 03 अगस्त, 2026 की विघटित साझीदारीनामा के अनुसार दोनों साझीदारों श्री नवाब उर्फ नबाब सिंह राणा एवं श्रीमती सरस्वती राणा की आपसी सहमति से फर्म की साझीदारी को विघटित कर दिया गया है। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण/देयता नहीं है। यदि पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी हम साझीदारों की संयुक्त रूप से होगी।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नवाब उर्फ नबाब सिंह राणा,
साझीदार
M/s VIKRANT HP GAS AGENCY,
Near Canara Bank, Purana Bazar,
Binauli, Baghpat. U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि M/S Aditya Enterprises, A-32, Sector-27, Noida, Distt-Gautam Buddh Nagar-201301 की साझीदारीनामा दिनांक: 07 जनवरी, 2015 के अनुसार श्री आदित्य गोयल एवं श्रीमती वीना गोयल साझीदार थे। दिनांक: 14 दिसम्बर, 2024 को श्रीमती सबी गोयल फर्म की साझीदारी

में सम्मिलित हुई एवं श्रीमती वीना गोयल अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गई। वर्तमान में संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री आदित्य गोयल एवं श्रीमती सबी गोयल साझीदार हैं तथा दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 के अनुसार फर्म का पता— परिवर्तन "G-283, Sector-63, Noida, Distt-Gautam Buddh Nagar-201301 हो गया है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जा जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आदित्य गोयल,
साझीदार,
M/S Aditya Enterprises, A-32,
Sector-27, Noida, Distt,
Gautam Buddh Nagar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s S.R. Cold Storage पंजीकृत कार्यालय 117-Q37-G, Sharda Nagar, Kanpur का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 13 जुलाई, 2017 को पंजीकरण सं० K-9458 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार साझीदारी से साझीदार श्री शिवराज सिंह कटियार स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री विश्वनाथ सिंह व श्री अर्पित सिंह कटियार साझीदार हैं। वर्तमान साझीदारों के पता— परिवर्तन के सम्बन्ध में आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जा रही है जिसमें श्री विश्वनाथ सिंह का पता— म०नं०-3, पो० छतरपुर, महिपालपुर, कानपुर नगर, उ०प्र० 209205 तथा श्री अर्पित सिंह कटियार का पता— ग्राम महिपालपुर, शिवराजपुर, महिपालपुर, कानपुर नगर, उ०प्र०-209205 हो गया है।

अर्पित सिंह कटियार,
पार्टनर,
M/s S.R. Cold Storage
ग्राम महिपालपुर, शिवराजपुर, महिपालपुर,
कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि M/S AG TECH AUTOMOTIVE, Address- Village Duhai Main Road Ghaziabad की साझेदारी में सुप्रिया नागर, अर्चना, अजय कुमार तीन साझीदार थे। दिनांक 22 जुलाई, 2024 की संशोधित साझेदारी डीड के अनुसार सुप्रिया नागर फर्म की साझेदारी से अपना हिसाब-किताब ले व देकर अलग हो गयी है। जिसकी सभी साझीदारों को पूर्ण जानकारी है। संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 22 जुलाई, 2024 के अनुसार वर्तमान फर्म में अर्चना एवं अजय कुमार फर्म में साझीदार हैं।

अजय कुमार,
साझीदार,
M/S AG TECH AUTOMOTIVE,
Village Duhai Main Road Ghaziabad.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि M/s VIJAY KUMAR RASTOGI, Address-Flat No.UI-GF4 Amarpali Royal Vaibhav Khand VTC Indirapuram PO Shipra Sun City Ghaziabad की साझेदारी में श्री विजय कुमार रस्तौगी, श्री शोभित कुमार रस्तौगी एवं श्री नितिन रस्तौगी सहित तीन साझीदार थे। दिनांक 28 फरवरी, 2026 की संशोधित साझेदारी डीड के अनुसार श्री विजय कुमार रस्तौगी फर्म की साझेदारी से अपना हिसाब-किताब ले व देकर अलग हो गये हैं एवं दिनांक 28 फरवरी, 2026 की संशोधित साझेदारी डीड के अनुसार श्रीमती रुची रस्तौगी फर्म की साझेदारी में नयी पार्टनर आ गयी है। फर्म में श्रीमती रुची रस्तौगी नयी पार्टनर आ जाने पर अब उपरोक्त फर्म में श्रीमती रुची रस्तौगी, श्री शोभित रस्तौगी एवं श्री नितिन रस्तौगी तीन पार्टनर हो गये हैं। संशोधित साझेदारी डीड दिनांक 28 फरवरी, 2026 के अनुसार वर्तमान फर्म में श्रीमती रुची रस्तौगी, श्री शोभित रस्तौगी एवं श्री नितिन रस्तौगी उपरोक्त फर्म में साझीदार हैं।

शोभित कुमार रस्तौगी,
साझीदार
M/s VIJAY KUMAR RASTOGI,
Address-Flat No.UI-GF4 Amarpali,
Royal Vaibhav Khand VTC Indirapuram,
P.O. Shipra Sun City Ghaziabad.

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जे0के0 फीड्स आर/ओ0 एफएल-7 सेक्टर 13 गिडा, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 में साझेदारी डीड दिनांक 22 मार्च, 2012 से श्री मो0 अफताब एवं श्री नौशाद आलम जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्मस सोसायटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण संख्या-G-3391 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदार श्री नौशाद आलम जो अपना हक व हिस्सा लेकर उक्त फर्म से रिटायर्ड हो गए है। यह कि साझेदारों की सहमती से उक्त फर्म का समापन/विघटन डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से कर दिया गया है। यह की उक्त फर्म में किसी साझेदार का कोई लेन देन बकाया नहीं हैं।

मो0 अफताब,

मेसर्स जे0के0 फीड्स आर/ओ0 एफएल-7,
सेक्टर 13 गिडा जनपद गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस0 कुमार कान्स्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज, ग्राम-कोइन्दी बुजुर्ग, पो0 तमकुही जिला कुशीनगर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 16 अप्रैल, 2012 से श्री दुर्गा लाल एवं श्री संतोष कुमार जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्मस सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 G-3415 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से श्री संतोष कुमार जी उक्त फर्म से अपना हक व हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके है तथा साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री दुर्गा लाल जी उक्त फर्म में द्वितीया साझेदार के रूप में शामिल हो चुके है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री दुर्गा लाल एवं श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

दुर्गा लाल,

साझेदार,

मेसर्स एस0 कुमार कान्स्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज,
ग्राम-कोइन्दी बुजुर्ग, पो0-तमकुही,
जिला कुशीनगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यूनिक्राफ्ट इन्फ्राटेक, 305 पी जंगल नकहा नं 1 बालाजीपुरम स्पोर्ट कॉलेज रोड, पोस्ट गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 20 जुलाई, 2019 से श्री सर्वेश कुमार गुप्ता एवं श्रीमती अमलावती देवी जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्मस सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 GOR/0004545 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 23 जुलाई, 2026 से श्रीमती अमलावती देवी जी उक्त फर्म से अपना हक व हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुकी है तथा साझेदारी डीड दिनांक 23 जुलाई, 2026 से श्रीमती श्वेता गुप्ता जी उक्त फर्म में द्वितीय साझेदार के रूप में शामिल हो चुकी है। अब उक्त फर्म में क्रमशः भी सर्वेश कुमार गुप्ता एवं श्रीमती श्वेता गुप्ता जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

सर्वेश कुमार गुप्ता,

साझेदार,

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मधुबाला जायसवाल (MADHUBALA JAISWAL) पुत्री रामऔतार जायसवाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5460 5063 4635 में मेरा नाम मधु जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मधुबाला जायसवाल (MADHUBALA JAISWAL) पुत्री रामऔतार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

मधुबाला जायसवाल,

पुत्री रामऔतार जायसवाल,

पत्नी आदर्श कुमार,

634 बहादुरगंज, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वर्तिका पाल (VARTIKA PAL) पुत्री सत्य देव पाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख तथा जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 0414 में मेरा नाम वर्षा पाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वर्तिका पाल (VARTIKA PAL) पुत्री सत्य देव पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

वर्तिका पाल पुत्री सत्यदेव पाल,
ग्राम व पोस्ट पिपरिस, संत रविदास नगर,
भदोही, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिशा अवस्थी (Disha Awasthi) पुत्री अखिलेश अवस्थी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 9799 में मेरा नाम दिशा बाजपेई अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिशा अवस्थी (Disha Awasthi) पुत्री अखिलेश अवस्थी पत्नी नितीश बाजपेई के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

दिशा अवस्थी पुत्री अखिलेश अवस्थी,
पत्नी नितीश बाजपेई,
कटियारा पोस्ट कबीरपुर हरगाँव,
सीतापुर, उ०प्र०।